भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

अक्तूबर 2020 वर्ष 34 संख्या 9-10 मूल्य 2 रुपये

भाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी की केन्द्रीय कमेटी का बयान

हाथरस में भूमिहीन दलित लड़की के जघन्य सामूहिक बलात्कार व हत्या के दोषियों के संरक्षण देने वाली योगी सरकार इस्तीफा दो!

जाति उत्पीड़न खत्म करने संघर्ष और जातीय उन्मूलन के लिए भूमि सुधार कुंजी है।

एक बर्बर, जघन्य सामूहिक बलात्कार व हत्या के मामले में *14* वर्षीय भूमिहीन दलित लड़की का *14* सितम्बर को उसी के गांव के उच्च जाति के पुरुषों द्वारा बर्बर सामूहिक बलात्कार किया गया जब वह और उसकी मां चारे के लिए घास छीलने गयी थीं। उसकी मां उससे कुछ ही दूर थी पर लड़की नजर से छिपी हुई थी। लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और उसके दांतों के बीच उसकी जीभ कटी हुई थी। तब भी उसने कई दिन तक संघर्ष किया, पहले अलीगढ़ के जेएलएन अस्पताल में, फिर दिल्ली के सजदरजंग अस्पताल में, जहां *29* सितम्बर को उसकी मौत हो गयी। संवेदनशीलता और बर्बरता का एक भयानक प्रदर्शन करते हुए, जो इनसे अनपेक्षित नहीं था, मोदी-योगी शासन में, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के माध्यम से लड़की का म त शरीर अस्पताल के बाहर खड़े लड़की के माता-पिता व भाइयों को नहीं सौंपा। उसे गोपनीय ढंग से दिल्ली से बाहर ले जाया गया और परिवार को उसकी सम्मानजनक अंत्येष्टी करने से भी रोक दिया गया।

जब यह स्पष्ट हो गया कि लड़की बहुत ज्यादा गम्भीर है तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने जल्दी-जल्दी लड़की द्वारा नामित *4* दोषियों को हिरासत में लिया। खैरलांजी मामला, बिहार में भूमिहीन दलितों को मिटाने के लिए वहां की उच्च जातीय सेनाओं के हमलों के कई सारे मामले चीखकर-चीखकर बता रहे हैं कि देश के न्यायालयों में ऐसी घटनाओं का क्या परिणाम होगा। राजस्थान की एक साथिन के मामले में जिसको आधार बनाकर विशाखा निर्णय दिया गया था, न्यायाधीश ने कहा था कि ऊँची जाति के पुरुष किसी नीची जाति की महिला के साथ बलात्कार करके अपनी प्रतिष्ठा मैली नहीं करेंगे ! विशाखा निर्णय का हम लगातार उल्लंघन होते हुए देखते रहे हैं। हाथरस का बर्बर सामूहिक बलात्कार व हत्या मामला *16* दिसम्बर *2012* के निर्भया मामले की याद को मजबूती से ताजा कराता है और भारत में महिलाओं के साथ हिंसक यौन अपराधों की वर्षानुगत श्रंखला में जुड़ जाता है।

आरएसएस-भाजपा की केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश में राज कर रही सरकारों का हिन्दुत्व आधार वैसे भी मनुवाद के अनुसार समाज के पित सत्तात्मक व यौन वर्गीकरण के पक्ष में है, जिसमें एक दलित महिला निम्न श्रेणी में भी सबसे निचले दर्जे पर है, क्योंकि वह दलित भी है और महिला भी। इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और इस मामले पर नजर रखते हुए त्वरित गति से केस के निपटारे और दोषियों को सजा दिलाने हेतु सभी ताकतों को आगे आकर पहलकदमी लेने की जरूरत है। साथ में उन दोषी पुलिस अफसरों जिन्होंने मामले की कार्यवाही में विलम्ब किया, के खिलाफ अभियोग चलाने और सर्वोच्च पदों पर आसीन अफसरों की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है।

इस मामले से जुड़े व्यापक बिन्दु से नजर नहीं हटनी चाहिए। यह देश के जीवन की लगातार कठोर सच्चाई है कि देश के भूमिहीन, ज्यादातर दलित चारे के लिए जब खेतों में जाते हैं तो ऊँची जातियों द्वारा उन्हें भयानक

(शेष पेज 13 पर)

चार लेबर कोड

मजदूरों के अधिकारों पर हमला

1. मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और इसके परिणामस्वरूप संसद के मानसून सत्रर को संक्षिप्त किये जाने की परिस्थिति को अपने कारपोरेट समर्थक, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी एजेण्डा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। तीन क षि बिल और तीन श्रम संहिता (लेबर कोड) आनन फानन में पारित किए गए और राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त की गई। पिछले वर्ष चौथी श्रम संहिता (वेतन कोड) पारित की ही जा चुकी थी। इससे पहले कि हम इन नए लेबर कोडों की जाँच करें, आइए पहले श्रम कानूनों के उद्देश्य को सामान्य रूप से समझें।

2. श्रम कानून मजदूरों को विभिन्न प्रकार की असुरक्षाओं से बचाने के लिये हैं, मसलन नौकरी की असुरक्षा, वेतन व छंटनी की असुरक्षा। श्रम कानून कारखानों और अन्य संस्थानों में कामगारों के लिए सुरक्षित और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए प्रावधान बनाने के लिये होते हैं। कुछ शब्दों में, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानून बनाए जाते हैं। जिन सामाजिक-आर्थिक स्थितिओं में मजदूर वर्ग अपनी श्रम शक्ति को मालिकों के वर्ग को बेचता है उनमें मजदूर एक कमजोर स्थिति में होते हैं, जबकि मालिक इस स्थिति में होते हैं कि वे अपने वर्चस्व व इच्छा को लागू कर सकें। इसलिए श्रम कानूनों का उद्देश्य मजदूरों को उनके द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न असुरक्षाओं से बचाने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। हमारे देश में मजदूरों के असंख्य संघर्षो के परिणामस्वरूप कई श्रम कानून बनाए गए थे, जिनमें ऐसे संरक्षण थे। यह सर्वविदित है कि इन कानूनों को लागू करवाने में बहुत कमी रही है और मालिक उनका बेधड़क उल्लंघन करते रहे हैं। दूसरी ओर पूँजी इन सुरक्षाओं को खत्म करने और श्रम बाजार में "लचीलापन" लाने के लिये वर्तमान श्रम कानूनों में परिवर्तनों की माँग करती रही है। भारतीय और विदेशी कॉरपोरेट की लंबे समय से, विशेषकर *1992* में नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत के बाद से श्रम कानूनों में बदलाव की माँग रही है। वर्ष *2002* में वाजपेयी शासन के दौरान द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के साथ बदलाव की यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। आयोग की सिफारिशों में श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलाव का ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जोरदार विरोध किया था और अगले दस वर्षो में केन्द्र में गठबंधन सरकारें कारपोरेट के इस एजेंडा को लागू करने की स्थिति में नहीं थी। हालाँकि कानूनों को ताक पर रख कर व्यापक पैमाने पर आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी की अनुमति देकर कुछ हद तक पूँजीपतियों के लिए श्रम लागत कम करने का उद्देश्य हासिल किया गया था और न्यायपालिका द्वारा इसे माफ कर दिया गया था।

3. नरेंद्र मोदी के नेत त्व में आरएसएस-भाजपा की केन्द्र में *2014* में सरकार बनने के बाद उसने *29* मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम कोड- वेतन पर कोड, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तो पर कोड, सामाजिक सुरक्षा पर कोड और औद्योगिक संबंध कोड में संहित करने के लिये आगे बढी और इसमें, वह आखरिकार सफल भी हुई है। सरकार के लिए सिर्फ इन कोड के लिए नियम तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना शेष रह गया है जिसके बाद वे नए श्रम कानून बन जाएँगे। वेज कोड के लिए नियम पहले से बन गये हैं।

4. कानूनों में महत्वपूर्ण विशिष्ट परिवर्तनों की जांच करने से पहले, हमें नए कोड के सामान्य प्रारुप को समझना चाहिये। सरकार श्रम कानूनों को सरल, तर्कसंगत बनाने और समेकित करने की प्रक्रिया के रूप में इन चार कोड के निर्माण को उचित ठहरा रही है। सच्चाई यह है कि कोई सरलीकरण या युक्तिकरण नहीं हुआ है।

5. अनेक पुराने कानूनों को एक साथ जोडकर कोड बने हैं व पुराने कानून इन कोडों के विभिन्न अध्याय। ज्यादातर मामलों में विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को जैसे के तैसे कॉपी किया गया है। उदाहरण के लिए औधोगिक सम्बन्ध कोड औद्योगिक विवाद अधिनियम, *1947*, ट्रेड यूनियन अधिनियम, *1926* और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश अधिनियम) *1946* की जगह लेता है। पुराने ट्रेड यूनियन अधिनियम को अध्याय *3* और पुराने स्थायी आदेश अधिनियम को अध्याय *4* के रूप में कापी किया गया है और पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम को अध्याय *2*, *5*, *6*, *6*,*7*,*8*,*9*,*10*, *11*, *12*, *13* और *14* बना दिया गया है और इसी तरह अन्य तीन कोड में भी है। साथ ही, बीओसी (निर्माण मजदूर) अधिनियम, *1996* जैसे कुछ अधिनियमों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर कोड में कापी नहीं किया गया है। जो मजदूर विरोधी परिवर्तन किए गए हैं उनकी हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे।

6. पुराने कानूनों में सामाजिक सुरक्षा लाभ, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उपायों आदि को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। नए कोड में मामलों को अस्पष्ट छोड़ दिया गया है और सरकार को कोड को लागू करने के नियमों को तैयार करते समय इन्हें तय करने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए पुराने फैक्टरी अधिनियम में स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया था, जैसे मशीनों के बीच की दूरी, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए

सुरक्षात्मक उपकरण, रोशनदानों आदि और कल्याणकारी उपाय जैसे शौचालयों, ठंडा पीने का पानी, कैंटीन, रेस्टरूम, धोने की सुविधा, क्रेच आदि कानून में ही लिखे गये थे। ऐसा ही खदानों के मामले में था। अब स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उपायों को सरकार द्वारा तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए फैक्ट्रीज एक्ट में क्रेच सुविधा, रेस्ट रूम, आदि अनिवार्य थे, अब ओएसएचडब्लूसी कोड की धारा *24;3*द्ध कहती है कि "केंद्र सरकार क्रेच के लिए कानून *बना सकती* हैं.."। कुल मिला कर विधायिका द्वारा जो तय किया जाना चाहिए था, वो अब सरकार द्वारा तय किया जाना है। इतना ही नहीं सरकार चाहे तो न केवल नियमों में बदलाव कर सकती है बल्कि सुरक्षा व कल्याण सुविधायें वापस भी ले सकती है या मालिकों को कानून में छूट प्रदान कर सकती है।

7. जहां पुराने श्रम कानूनों के प्रावधानों के लागू किये किए जाने के लिए मजदूरों की संख्या पर *10*, *20*, *100* आदि न्यूनतम सीमा थी, नए कोड में इन संख्याओं को या तो दोगुना या उससे अधिक तक बढ़ा दिया गया है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मजदूर इन कानूनों के दायरे से बाहर किये जाएंगे और उन्हें अब इन कानूनों का संरक्षण नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ कानूनों में इस सीमा को बढ़ाने की शक्ति सरकार को दी गई है।

8. विभिन्न पुराने श्रम कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के श्रम विभागों की थी। निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) को औचक निरीक्षण करने, रिकार्ड जाँचने, जुर्माना लगाने और श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए मालिकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की शक्तियाँ होती थीं। हालाँकि उन्होंने मजदूरों के लाभ के लिये इन शक्तियों का कम ही इस्तेमाल किया। पर मजदूर आंदोलन की ताकत उन्हें इन शक्तियों को इस्तेमाल कर के मालिकों पर मजदूरों के साथ समझौता करने के लिए दबाव बनाने के लिये बाध्य करती थी। नए कोड में उनकी शक्तियों को बहुत सीमित कर दिया गया है और श्रम विभाग का कार्य अब मददकर्ता का होगा जो मालिकों को कानून लागू करने के लिए समझायेंगे पर उसे बाध्य नहीं करेंगे। मालिकों से अपेक्षा की जायेगी कि वे स्वेच्छा से कानूनों को लागू करेंगे और हलफनामे के माध्यम से लागू किये जाने का उनका स्व-प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा। श्रम कानूनों को लागू नहीं किये जाने के बारे में यूनियन या मजदूरों की शिकायत पर वस्तुतः किसी निरीक्षण की संभावना नहीं रहेगी।

9. पुराने कानूनों में कुछ उल्लंघनों के लिए कारावास की सजा का प्रावधान था हालाँकि शायद ही कभी मालिकों को जेल भेजा गया हो। इस छूट को अब औपचारिक रूप दिया जा रहा है। एक मालिक जिसे श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए जेल हो सकती थी अब जेल के बजाय जुर्माने का भुगतान करके इससे बच सकता है।

10. अब हम नए कोड के माध्यम से किए गए कुछ महत्वपूर्ण विषिष्ट परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे।

औद्योगिक संबंध कोड, *2020*

11. यह कोड पुराने स्थायी आदेश अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम की जगह लेता है। इस कोड के माध्यम से पुराने कानूनों में किए गए बदलाव मजदूरों के लिए सबसे खतरनाक हैं क्योंकि वे अन्य बातों के अलावा मजदूरों के अपनी पसंद की यूनियन में संगठित होने और हड़ताल करने के अधिकार पर हमला करते हैं। इसके अलावा, धारा *2* में, ''केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकने वाली किसी भी अन्य गतिविधि'' को बाहर करने के लिए उद्योग की परिभाषा को बदल दिया गया है। अतः किसी भी उद्योग को उद्योग नहीं है यह घोषित करने की सरकार के पास शक्ति होगी। ''ऐसी संस्थायें जिनकी मिलकियत या प्रबंधन ऐसे संगठनों के हाथ में है जो धर्मार्थ, सामाजिक या परोपकारी सेवा पूरी तरह से या अधिकांश रूप से करते हैं'' को भी विशेष रूप से इस कोड में शामिल नहीं किया गया है।

12. पुराने केंद्रीय कानून में प्रबंधन द्वारा यूनियनों को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं था (कुछ राज्यों में इसके लिए एक अलग कानून था)। सभी पंजीक त यूनियनों को माँगें उठाने और यहां तक कि मांगों के लिए हड़ताल पर जाने और प्रबंधन को उनके साथ बातचीत करने के लिए मजबूर करने का अधिकार था। वास्तव में, यूनियन के बिना भी, एक बैठक में मजदूरों द्वारा अधिक त पांच मजदूर प्रतिनिधियों को मांगों को उठाने और हड़ताल का नोटिस देने और बातचीत करने और समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार था।

13. अब संस्थान के *51* प्रतिशत मजदूर जिस पंजीक त यूनियन के सदस्य हैं उसे समझौता वार्ता के लिये अधिक त यूनियन (नेगोशियेटिंग यूनियन) के रुप में मान्यता दी जायेगी। यदि किसी यूनियन की *51* प्रतिशत सदस्यता नहीं है, तो सभी यूनियनों जिनके पास *20* प्रतिशत से अधि ाक सदस्य हैं की एक वार्ता परिषद (नेगोशियेटिंग काउन्सिल) बनाई जायेगी। इस सदस्यता की जाँच कैसे की जाएगी यह लिखा नहीं गया है और सरकार द्वारा तय किया जाएगा। प्रबंधन को किसी अन्य यूनियन के साथ बातचीत करने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

14. जब एक उद्योग के मजदूर जो असंगठित होते हैं, वे एक यूनियन में संगठित होने लगते हैं, तो प्रबंधन के लिए यह कानूनन आसान हो जाएगा कि वे अपने आज्ञाकारी कामगारों से एक अन्य यूनियन बनवाये एवं इसे नेगोशियेटिंग यूनियन के रूप में मान्यता दें। एक बार जब प्रबंधन के अनुकूल यूनियन को मान्यता दे दी गई हो, तो किसी भी

नई यूनियन के लिए खुद को स्थापित करना और मान्यता प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि उसे मजदूरों की मांगों पर आंदोलन करने के कानूनी अधिकार सीमित होंगे। कोड अधिकांश प्रतिष्ठानों में प्रबंधनपरस्त यूनियनों या नाम की यूनियनों का बनना सुनिश्चित करेगा।

15. मान्यता के संबंध में उपरोक्त बड़े बदलाव के अलावा, पुराने ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्य प्रावधान मुख्य रूप से नहीं बदले गये हैं।

16. इस कोड की धारा *62 ;1द्ध* का प्रावधान एक तरह से हड़ताल करने के अधिकार से मजदूरों को पूरा वंचित करता है। पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा *22* केवल लोक उपयोगी सेवाओं के लिए लागू थी और हड़ताल के पूर्व *14* दिन का नोटिस आवश्यक था। धारा *23* अन्य सभी उद्योगों के लिए थी, जहाँ किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी और केवल अदालत, न्यायाधिकरण, आदि के समक्ष कार्यवाही की अवधि के दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध था। नए कोड में पुरानी धारा *22* और *23* को नई धारा *62 ;1द्ध* में एक किया गया है और यह सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। पुराने अधिनियम की धारा *22 ;1द्ध* में कहा गया था, *''लोक उपयोगी सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्तिें."* लेकिन कोड की धारा *62 ;1द्ध* कहती है, *''एक औद्योगिक इकाई में कार्यरत कोई भी व्यक्तिें."*। अब यह होगा कि हड़ताल के पहले *14* दिनों का नोटिस दिया जाएगा, जिससे पहले कोई हड़ताल नहीं हो सकती। फिर नोटिस प्राप्त करने के बाद समझौता अधिकारी सुलह कार्यवाही शुरू कर देंगे और जब तक यह चलती है कोई हड़ताल नहीं। वार्ता विफल होने के बाद, समझौता अधिकारी सरकार को विफलता रिपोर्ट भेजेंगे जो विवाद को न्यायाधिकरण के पास भेजेगी और जब तक यह मामला न्यायाधिकरण में है, कोई हड़ताल नहीं। दूसरी ओर, सुलह की कार्यवाही विफल होने के बाद, नए कानून के तहत, प्रबंधन सीधे मामले को न्यायाधिकरण में ले जा सकता है (धारा *53 ;6द्ध*), अतः कोई हड़ताल संभव नहीं। वास्तव में हर हड़ताल को अवैध हड़ताल घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा सामूहिक अवकाश को भी हड़ताल की परिभाषा में शामिल किया गया है।

17. पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम का अध्याय *5* बी इस नए कोड में अध्याय *10* बन गया है। अध्याय *5* बी *100* से अधिक मजदूरों वाले प्रतिष्ठानों में ले-ऑफ, छंटनी और बंदी से संबंधित था। ऐसे प्रतिष्ठानों में ले-ऑफ, छंटनी या बंदी के लिए प्रबंधन को सरकार की अनुमति लेनी होती थी। अक्सर सरकारों को अनुमति देना राजनीतिक रूप से मुश्किल था। इस परिस्थिति में स्वैच्छिक सेवानिव त्ति योजनाएं (वीआरएस) जैसी चीजें आई जिसमें प्रबंधन के छटंनी, बंदी के उद्देश्य की पूर्ति के लिये मजदूरों को वीआरएस स्वीकार कराने के लिये अधिक आर्थिक लाभ का एक पैकेज दिया जाने लगा।

18. नए कोड में इस सीमा को बढ़ाकर *300* कर दिया गया है। परिणामस्वरूप *100* से *300* मजदूरों वाले मध्यम आकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत बड़ी संख्या में मजदूरों को पहले मिलने वाली सुरक्षा से वंचित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार, जब चाहे तब इस सीमा को बढ़ा सकती है और इसका प्रावधान कोड की धारा *77 ;1द्ध* में किया गया है, ''कम से कम तीन सौ मजदूर अथवा इससे अधि ाक कोई भी संख्या जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए''। इसके अलावा अभी तक मान्य *15* दिन प्रति सेवा वर्ष की छंटनी मुआवजे की दर को बदलने का सरकार को अधिकार धारा *79 ;9द्ध* के जरिए दिया गया है, " मुआवजा जो पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा, या उतने दिनों का औसत वेतन जो संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए."। दर घटाना किसी सरकार के लिए राजनीतिक या कानूनी रूप से शायद संभव नहीं हो लेकिन कुछ हद तक वीआरएस की तरह मजदूरों को छंटनी स्वीकार करने के लिए लुभाने के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है।

19. पहले छंटनी के बाद, छांटे गये मजदूरों को, बिना किसी समय सीमा, जब भी जगह खाली हो पुनः बहाली के लिये प्राथमिकता का अधिकार था (पुरानी धारा *25* एच)। नए कोड की धारा *72* में, यह अधिकार छंटनी की तारीख से केवल एक वर्ष बाद तक रहेगा। अतः किसी भी छंटनी अथवा बंदी होने के एक वर्ष बीत जाने के बाद, मालिक छंटनी किये गये मजदूरों को पुनः बहाल करने के किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाता है।

20. पुराने स्थायी आदेश अधिनियम को मुख्य रूप से अध्याय *4* के रूप में बरकरार रखा गया है। हालाँकि प्रमुख बदलाव यह हुआ है कि स्थायी आदेशों के प्रावधान लागू होने की सीमा को *100* से बढ़ाकर *300* मजदूर कर दिया गया है। परिणामस्वरूप मध्यम आकार के प्रतिष्ठानों के मजदूरों की एक बड़ी संख्या अपने काम करने की शर्तो व अन्य अधिकार स्थायी आदेशों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किये जाने के अधिकार से वंचित हो जाएगें। इसके अलावा धारा *39* सरकार को अधिकार देती है कि वह स्थायी आदेशों के प्रावधानों से किसी भी संस्थान को छूट दे सकती है। इसके परिणामस्वरूप "जब चाहे रखो जब चाहे निकालो" की नीति का नंगा खेल होगा।

21. एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसे पहले स्थायी आदेशों में जोडा गया था और अब इस कोड का एक हिस्सा है वह है निश्चित अवधि के रोजगार (फिक्स्ड टर्म एंप्लोयमेंट) की नई श्रेणी, जो नौकरी पर रखने व हटाने की स्वतंत्रता की मालिकों की माँग को पूरा करती है। निश्चित अवधि के मजदूर वे होंगे जो नियत अवधि के लिए

रोजगार स्वीकार करने के लिए राजी हो गए हैं और इस अवधि के अंत में उनका रोजगार स्वतः समाप्त हो जाएगा और उन्हें कोई विवाद उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा। उन्हें कोई भी छटंनी मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बराबर राशि ग्रैच्युटी के रुप में मिलेगी यदि उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक काम किया है। निश्चित अवधि के मजदूरों को हमेशा इस खतरे का सामना करना पड़ेगा कि उनके अनुबंध को नवीनीक त नहीं किया जाएगा। जाहिर है कि मालिक स्थायी के स्थान पर निश्चित अवधि के मजदूरों को पसंद करेंगे और इस श्रेणी में मजदूर विशेष रूप से कुशल मजदूरों की संख्या बढ़ना लाजमी है। पुराने अधिनियम की धारा *9* में मजदूरों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में गेट पर प्रमाणित स्थायी आदेश को प्रबंधन द्वारा प्रदर्शित किये जाने का प्रावधान है। नए कोड में यह प्रावधान नहीं है और मजदूरों को सूचित किए जाने के तरीके को धारा *33 ;2*द्ध में अस्पष्ट रूप से सरकार पर छोड़ दिया गया है।

22. इस कोड के तहत कोई श्रम न्यायालय नहीं होगा, केवल राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या एक क्षेत्र के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण होंगे। पुराने अधिनियम के तहत, न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण थे। आमूलचूल परिवर्तन में नए औद्योगिक न्यायाधिकरणों में *2* सदस्य होंगे- एक न्यायिक और एक प्रशासनिक। कुछ मुद्दों पर वे व्यक्तिगत रूप से मामलों को सुन सकते हैं और तय कर सकते हैं यानी प्रशासनिक सदस्य अकेले मजदूरों के मुद्दों पर निर्णय ले सकते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग कार्यक्षेत्र की संवैधानिक अवधारणा को दरकिनार कर दिया गया है।

23. अंत में धारा *96 ;2*द्ध सरकार को यह आजादी देती है कि सरकार किसी भी तय अवधि के लिए किसी नये प्रतिष्ठान को जनता के हित में इस कोड के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति (OSHWC) कोड, *2020*

24. इस कोड में तेरह पुराने कानून शामिल हैं - फैक्ट्रीज एक्ट, *1948*, माइन्स एक्ट, *1952*, डॉक वर्कर्स (सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर) एक्ट, *1986*, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम *1996*, बागान श्रम अधिनियम *1951*, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम *1970* (सीएलएआरए), अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम, *1979*, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूजपेपर एंप्लोयीज एक्ट, *1955*, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट *1958*, मोटर परिवहन मजदूर अधिनियम, *1961*, बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम, *1976*, बीड़ी और सिगार मजदूर अधिनियम, *1966*, सिने-मजदूर और सिनेमा थियेटर मजदूर अधिनियम, *1981*।

25. यह कोड इतने विविध कानूनों का संयोजन है, इसलिये विभिन्न धाराएं अलग-अलग क्षेत्रों में लागू हैं। एक प्रतिष्ठान वह है जिसमें *10* या अधिक मजदूर कार्यरत हैं। कारखाने की परिभाषा को बदल दिया गया है और मजदूरों की न्यूनतम संख्या को *10* से बढ़ाकर *20* कर दिया गया है जहां बिजली का उपयोग किया जाता है और *20* से बढ़ाकर *40* तक जहां बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे बड़ी संख्या में छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अब कारखाना नहीं माना जाएगा और मजदूरों को इस कोड के कारखाना संबंधित अध्याय के तहत प्राप्त स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याणकारी प्रावधानों से वंचित किया जाएगा। हमने पहले चर्चा की है कि इस कोड के नाम के बावजूद, कार्य की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण सुविधाएँ कोड में ठोस रुप से बतायी नहीं गई हैं और इन्हें बाद में सरकार द्वारा कारखानों, खानों और अन्य संस्थानों के सम्बन्ध में नियम बनाते समय घोषित किया जाना है। कोड में मजदूरों की वार्षिक चिकित्सा जांच का प्रावधान है जो व्यावसायिक रोगों के मामले में विशेष महत्व का है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे किया जाएगा।

26. खदान मजदूरों की काम करने की स्थिति, सुरक्षा, कल्याण, आदि कोड में स्पष्ट नहीं किये गये हैं और बाद में सरकार द्वारा इसके लिए नियम अधिसूचित करते समय तय किये जाएंगे। भवन और अन्य निर्माण मजदूर (बीओसी) अधिनियम को इस कोड में शामिल किया गया है, लेकिन पुराने अधिनियम में बीओसी मजदूरों के लिए जो विभिन्न विशिष्ट प्रावधान थे जैसे कि पीने के पानी, शौचालाय और मूत्रालय, आवास (जो पहली जरूरत है) प्राथमिक चिकित्सा, कैंटीन, क्रेच का इस कोड में कोई उल्लेख नहीं है और वे सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों पर निर्भर करेंगे। वास्तव में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों की आवश्यकताएं कारखानों, खानों, भवन और निर्माण कार्यो, मोटर परिवहन, बीड़ी और सिगार मजदूरों, आदि में बहुत भिन्न हैं। उन सभी को एक कानून के तहत रखना पूरी तरह से गलत समझ पर आधारित है। अंतिम परिणाम यह है कि संसद के अधिनियमों में स्पष्ट रुप से परिभाषित होने के बजाय इन सभी मामलों में मजदूरों के अधिकार सरकार द्वारा जैसी मर्जी होगी तय किए जाएंगे। सरकार द्वारा दावा किया गया है कि इस कोड के माध्यम से अधिक से अधिक असंगठित मजदूरों को कानून के दायरे में लाया जा रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के कई क्षेत्र जैसे घरेलू कामगार, स्कीम वर्कर, होटल वर्कर, डिजी प्लैटफार्म और गिग वर्कर्स आदि को छोड़ दिया गया है।

27. ठेका श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम -सीएलएआरए के प्रावधानों को अध्याय *11* के भाग *1* के रूप में छोटा कर शामिल किया गया है। अन्य कानूनों की तरह यहां भी इस कानून के प्रावधानों के लागू होने की

सीमा पहले के *20* से बढ़ा कर अब *50* कामगार कर दी गई है (कोड की धारा *45 ;1*द्ध)। पुराने ठेका श्रम कानून के तहत ठेका कामगार रखने के लिए संस्थान को पंजीक त होना आवश्यक था जबकि नए कोड में मुख्य मालिक (प्रधान नियोजक) को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इसलिए अब केवल ठेकेदार को एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा जो *5* वर्षो के लिए वैध होगा। यहां तक कि इस प्रावधान को कोड की धारा *47 ;2*द्ध के माध्यम से हल्का किया जा सकता है जो एक नया प्रकार का लाइसेंस लाता है जिसे ''कार्य विशिष्ट लाइसेंस'' कहा जाता है। ''जहां ठेकेदार उप-धारा (*1*) में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता या मानदंड को पूरा नहीं करता है, लाइसेंसिंग अधिकारी उसे ''कार्य विशिष्ट लाइसेंस'' जारी कर सकते हैं जिसे निर्धारित अवधि में नवीनीक त कराया जा सकता है''।

28. पूराने कानून के तहत, प्रधान नियोजक के पास रजिस्टरों और रिकार्ड को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और ठेका मजदूरों को वेतन के भुगतान के समय और भुगतान को प्रमाणित करने के लिए उसके प्रतिनिधि को उपस्थित होना अनिवार्य था। यह सब समाप्त किया गया है और प्रधान नियोजक की बची हुई जिम्मेदारी केवल यह है कि वह वेतन भुगतान करेगा यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है। एक बदलाव जो मजदूरों को लाभान्वित कर सकता है वह यह है कि रेस्ट रुम, टायलेट, कैंटीन आदि प्रदान करने की जिम्मेदारी अब प्रधान नियोजक की होगी न कि ठेकेदार की। अंत में ठेका श्रम को समाप्त करने का घोषित उद्देश्य अब चुपचाप छोड़ दिया गया है।

29. इस कोड में भी धारा *127* सरकार को कोड के किसी या सभी प्रावधानों से किसी भी प्रतिष्ठान को छूट देने का अधिकार प्रदान करती है और विशेष रूप से जनहित में अधिक आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिये नये संस्थानों या संस्थानों की श्रेणी को इस कोड के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार प्रदान करती है।

सामाजिक सुरक्षा पर कोड, *2020*

30. इस कोड में *9* पुराने अधिनियम शामिल हैं - कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, *1952*, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, *1948*, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, *1923*, रोजगार एक्सचेंज (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, *1959*, मात त्व लाभ अधिनियम, *1961*, ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, *1972*, सिने-मजदूर कल्याण निधि अधिनियम, *1981*, भवन और अन्य निर्माण मजदूर कल्याण उपकर अधिनियम, *1996*, और असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, *2008*। कानूनों के प्रावधानों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और मूल प्रश्न कि सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए एवं इसे सार्वभौमिक होना चाहिए को नजरंदाज किया गया है। ये अलग-अलग कानून केवल एक कोड के अलग-अलग अध्याय बन गए हैं। बीओसी मजदूरों के लिए जो प्रवासी हैं, उनके पास लाभ की पोर्टेबिलिटी होगी यानी उनके ग ह राज्य या उस राज्य में जहां वे काम कर रहे हैं हितलाभ लेने का विकल्प होगा। इसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा, यह देखना होगा। भवन और निर्माण कार्य की परिभाषा में एक प्रावधान जोड़ा गया है कि "जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वयं के निवास के लिए आवास के निर्माण संबंधि ऐसे कार्य हैं और इस तरह के काम की लागत पचास लाख या इस तरह की उच्च राशि से अधिक नहीं है और ऐसे मजदूरों की संख्या से अधिक काम करते हैं जिन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है'' भवन और निर्माण कार्यो में शामिल नहीं किया जाएगा। यह सरकार को बीओसी कामगार की परिभाषा को बदलने और मजदूरों के एक तबके को कल्याणकारी लाभों से वंचित करने का अधिकार देता है।

31. कुछ गलत धारणा बनाई गई है कि ग्रैच्युटी पाने के लिए *5* साल की सेवा की आवश्यकता को हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है और यह आवश्यकता बनी हुई है। केवल निश्चित अवधि के रोजगार मजदूरों के मामले में इस आवश्यकता को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। इस कोड में भी निरीक्षकों को मददगार बना दिया गया हैं और मालिकों को कारावास के दण्ड के बदले जुर्माना देने का प्रावधान दिया गया है।

वेतन कोड *2019* व मसौदा नियम

32. यह कोड *2019* में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें चार पुराने अधिनियम शामिल हैं - वेतन भुगतान अधिनियम, *1936*, न्यूनतम वेतन अधिनियम, *1948*, बोनस भुगतान अधिनियम, *1965* और समान मजदूरी अधिनियम, *1976*, जो कोड में विभिन्न अध्यायों के रूप में हैं। वेतन संहिता के लिए मसौदा नियम भी प्रकाशित किए गए हैं और जब आधिकारिक रूप से अधि ासूचित किये जाएंगे तो कानून बन जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाने वाली एक 'न्यूनतम (फ्लोर) वेतन' की एक नई अवधारणा पेश की गई है और राज्य सरकार को न्यूनतम वेतन तय करना है जो इस 'फ्लोर वेतन' से ऊपर होना चाहिए। यह सबसे अधिक संभावना है कि फ्लोर वेतन ही व्यवहार में राज्यों द्वारा तय न्यूनतम वेतन बन जाएगा। यह मसला धारा *9;1*द्ध के प्रावधान द्वारा और अधिक जटिल हो जाता है जो कहता है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग फ्लोर वेतन तय किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही औद्योगिक प्रतिष्ठान की विभिन्न इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन की विभिन्न दरों का भुगतान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मसौदा

नियमों के अनुसार महानगरीय, गैर-महानगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन की अलग-अलग दरें तय की जानी हैं। बहुत सारी न्यूनतम मजदूरी दरों के साथ, कार्यान्वयन बहुत मुश्किल हो जायेगा और मालिक हमेशा मजदूरी की सबसे नीची दरों का भुगतान करने की कोशिश करेंगे। मनरेगा मजदूरी को विशेष रूप से इस कोड से बाहर रखा गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मनरेगा के काम का भुगतान न्यूनतम मजदूरी से कम पर किया जाएगा।

33. नियमों के अध्याय *2*, नियम *3* में, न्यूनतम मजदूरी की गणना के लिए *6* मानदंड निर्धारित किए गए हैं। *15* वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों और *1992* में रेप्टकोस ब्रेट मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इन मानदंडों को अद्यतन करने का दावा किया गया है। ये मानदंड पिछले *28* वर्षो से कानून हैं, लेकिन लागू नहीं किए गए थे और यह संभावना नहीं है कि वे भविष्य में भी लागू किए जाएंगे। घर का किराया खर्च का मानदंड भोजन और कपड़ों के खर्च का *10* प्रतिशत पर निध ार्रित किया गया है, जो किराए के आवास की उच्च लागत को देखते हुए बेहद कम है और कम से कम *25* प्रतिशत होना चाहिये। श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित मूल मानदंड भी सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए आबंटित आवास के आकार के आवास के किराये के बराबर राशि जोडने का था।

34. पुराने बोनस अधिनियम में, संस्थान के मुनाफे का हिसाब लगाने और तदानुसार मजदूरों को देय बोनस की दर तय करने के लिये यूनियन और मजदूरों को संस्थान के खातों का निरीक्षण करने का अधिकार था। इस कोड में ध ारा *31;3द्ध* में कहा गया है कि ''जहां बोनस की मात्रा को लेकर कोई विवाद है, उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी मालिक को बुलाकर उससे बैलेंस शीट दिखाने को कह सकता है पर बैलेंस शीट में दी गई जानकारी का अधिकारी खुलासा नहीं करेगा जब तक कि मालिक उसके लिए सहमत ना हो। जाहिर है कोई भी मालिक इस सूचना को यूनियन को देने के लिए सहमत नहीं होगा और यूनियन अपनी बोनस की मांग को न्याय संगत ठहराने में सक्षम नहीं हो सकेगी।

35. इस कोड के तहत भी निरीक्षक मददकर्ता ही होंगे और मालिकों को कारावास के दण्ड के बदले जुर्माना देने का प्रावधान रखा गया है।

36. पुराने श्रम कानून शासकों की ओर से उपहार नहीं थे, बल्कि आज के मजदूर वर्ग के पूर्वजों द्वारा किए गए द ढ संघर्षो और अनगिनत बलिदानों से मिले थे। सरलीकरण, युक्तिकरण और समेकन की आड़ में इन कानूनों को चार श्रम कोडों में समाहित किया गया है और उस प्रक्रिया में मजदूरों के कई मुश्किल से जीते अधिकारों पर हमला किया गया है, विशेष रूप से संगठन बनाने के अधिकार और संघर्ष के अधिकार पर। सरकार का मकसद है कि भारतीय और विदेशी कारपोरेट के लिए श्रम लागत को कम करा जाए। स्थायी नौकरियों में भारी कमी और बढ़ती आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी ने पहले से ही औसत मजदूरी में कमी की है। कामकाजी परिस्थितियों, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित संशोधनों से यह सुनिश्चित होगा कि इस संबंध में मालिकों का खर्च बहुत कम हो जाएगा। इंस्पेक्टरों के मददकर्ता बनने से प्रभावी कार्यान्वयन मशीनरी का अभाव होगा जिसका मतलब होगा कि श्रम कानूनों का पहले से ही खराब कार्यान्वयन और बदतर हो जाएगा।

37. श्रम कानूनों में ये बदलाव मजदूर वर्ग के सामने एक गंभीर चुनौती है। इस हमले को वापस कराने के लिए मजदूरों का व्यापक, द ढ़ और लंबा संघर्ष आज समय की आवश्यकता है। इफ्टू ऐसे जुझारू संघर्ष के लिए सभी तबको के कामगारों को एकजुट होकर आगे आने का आह्वान करती है।

राष्ट्रीय कमेटी,
इंडियन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू)
अक्टूबर 2020

पत्रिका के सभी पाठकों से अनुरोध

- *वर्तमान में पुराने रुप में नियमित प्रकाशन सम्भव नहीं है। तथापि आज पाठकों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराना और भी जरूरी है। हम पत्रिका के ई-संस्करण के प्रकाशन के जरिये जहां तक संभव है इस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे।*
- *साथियों तक पत्रिका पहुंचाने के लिए साथी ईमेल तथा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। जो साथी इनके इस्तेमाल से परिचित न हों कार्यकर्ता उन्हें पत्रिका में प्रकाशित लेखों, रिपोटों तथा सामग्री से अवगत करायें।*
- *पत्रिका के लिए हमें लेख व रिपोर्ट नियमित रुप से भेजें। मौजूदा समय में इसकी जरूरत और बढ़ गयी है।*
- *पत्रिका के इस्तेमाल करने का प्रयास करें। स्वयं भी पढ़े और अधिक से अधिक लोगों को भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*

बिहार विधानसभा चुनावों पर आवाह्न

आरएसएस-भाजपा एवं उसके सहयोगियों (विशेषकर जद-यू) को परास्त करो!

शासक वर्गीय विपक्षी पार्टियों के पास जनता की समस्याओं के हल के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है।

सी.पी.आई.(एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी का समर्थन करो!

कोरोना महामारी शुरु होने के बाद हो रहे राज्य चुनाव में आरएसएस नेत त्वाधीन राजग बिहार में अन्य शासक वर्गीय पार्टियों से चुनावी चुनौती का सामना कर रही है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की सभी मांगों को सरकार, चुनाव आयोग व मुख्यधारा के मीडिया ने नजरंदाज किया और व्याख्या की जा रही थी कि यह मांग संसदीय विपक्ष के खेमे में आसन्न हार के भय का संकेत है। इस आत्मसंतुष्टी की भावना के स्थान पर अब शासक खेमे में बेचैनी नजर आ रही है। आरएसएस-भाजपा नेत त्वाधीन राजग में आंतरिक मतभेद हो गये हैं और चिराग पासवान नेत त्वाधीन लोजपा जदयू के खिलाफ (भाजपा के गुप्त समर्थन के साथ) लड़ रही है। जबकि यह प्रचारित किया जा रहा है कि चुनाव में राजग को बहुमत मिलने की स्थिति में जदयू का नेता ही राजग का मुख्यमंत्री होगा। राजग का सत्ता के लिये मुख्य प्रतिद्वन्दी राजद नेत त्वाधीन महागठबंधन नामक अन्य शासक वर्गीय गठजोड है। उसका प्रस्तावित मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है जो लालू यादव, जो वर्तमान में रांची जेल में हैं, का बेटा है। चुनाव में अन्य पार्टियों व गठजोडों के भी उम्मीदवार हैं।

बिहार विधान सभा चुनाव कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के नाम पर लागू किये गये बर्बर लॉकडाउन के बाद किसी राज्य में पहला चुनाव है। मई *2019* के लोक सभा चुनाव में आरएसएस-भाजपा और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। ये चुनाव पुलवामा हमले व बालाकोट स्ट्राईक के नाम पर अति-राष्ट्रवादी, युद्धोन्मादी प्रचार से पाकिस्तान विरोधी उन्माद फैलाने व मुस्लिम विरोधी ध्रुवीकरण गहरा करने के सुनियोजित अभियान के माहौल में हुआ था। सत्ता में लौटने के बाद आरएसएस-भाजपा ने दो जुडवा एजेण्डे लागू किये हैं अर्थात् फासीवादी हमले को तीव्र करके उसे फासीवादी शासन के स्तर तक ले जाना तथा दूसरी तरफ विदेशी व देसी कारपोरेट पर लाभों की बौछार करना, मजदूरों के मौजूदा अधिकारों को खत्म करना और क षि पर पूर्ण नियंत्रण कारपोरेट के हाथों में देना। आरएसएस-भाजपा भारतीय शासक वर्ग का सबसे प्रतिक्रियावादी धड़ा एवं बडे पूंजीपति व बडे जमींदारों का वफादार सेवक रहा है। उनके द्वारा विदेशी व देसी पूंजीपतियों की सेवा एवं मजदूरों व किसानों पर हमलों को कारपोरेट नियंत्रित मुख्यधारा के मीडिया द्वारा अच्छी तरह से छुपाया जाता है। मुख्यधारा के मीडिया ने धार्मिक व राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं व जनवादी अधिकारों पर हमलों एवं राज्य के शासन तंत्र की शक्तियों में बढोतरी को लगातार राष्ट्रवाद की भाषा में पेश किया है।

2019 में सत्ता में लौटने के बाद से आरएसएस-भाजपा देश के राजनैतिक परिद श्य को, शासन के रुप को ही बदलने व हिंदू राष्ट्र के अपने प्रारुप को लाने की जल्दी में है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने दावा किया है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने संविधान की धारा *370* व *35*ए को समाप्त कर दिया। उन्होंने न केवल जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष शक्तियां समाप्त की बल्कि उस राज्य को ही समाप्त कर दिया। उसके बाद वे तीन तलाक को अपराध का दर्जा देने के लिये आगे बढ़े। फिर उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम, *2019* (सीएए) पारित करके एवं नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) बनाने व उसकी तैयारी के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की घोषणा करके धर्मनिरपेक्षता पर भारी चोट की। इस सब के साथ उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से केन्द्र सरकार की शक्तियों में और बढोतरी की। राज्य की संस्थाओं का आरएसएस नेत त्वाधीन हिंदुत्व के समक्ष बढते समर्पण, क्षेत्रीय शासक वर्गीय पार्टियों के आरएसएस-भाजपा के समक्ष झुकने की प्रक्रिया तेज होने एवं बाकी संसदीय विपक्ष में व्याप्त निराशा से इन सब हमलों को मदद मिली। इस घरेलू कार्यसूची को आगे बढाते हुए उन्होंने भारत को अमेरिकी नेत त्वाधीन खेमे के और करीब ला दिया है, इजराईल के साथ गठजोड़ और घनिष्ठ बनाया है, और भारत को अमेरिकी नेत त्वाधीन सैनिक गठजोड जो एक एशियाई नाटो बनने की तरफ बढ रहा है, का हिस्सा बना

दिया है।

2020 की शुरुआत से कोरोना पूरी दुनिया व भारत में फैला। आरएसएस-भाजपा ने इसे वरदान समझा। उन्होंने कोरोना के नियंत्रण के लिये कदम नहीं उठाये एवं जनता पर अपना नियंत्रण अधिक मजबूत करने के लिये इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कोरोना की दहशत तो पैदा की पर जनता की हिफ़ाजत नहीं की। उनके सांप्रदायिक-फासीवादी सीएए-एनआरसी के खिलाफ बढ़ते विरोध की आग को बुझाने के लिये उन्होंने कोरोना को फैलने दिया एवं कारपोरेट मीडिया तथा स्वास्थ्य विभाग की नौकरशाही के चापलूसों की मदद से इस फैलाव के लिये अल्पसंख्यकों के एक समूह को दोषी भी ठहरा दिया। उन्होंने एलगार परिषद के फर्जी मामले में जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले तेज किये एवं सीएए का विरोध करने वालों के खिलाफ यूएपीए लगाया। उन्होंने ऐसा लॉकडाउन लागू किया जो दुनिया में अप्रत्याशित था और लागू करने के तरीके, जिसमें पुलिस को असीमित शक्तियां दी गई, एक जनवादी समाज मे कल्पनातीत थे। भूखे व परित्यक्त लाखों-लाख मजदूर अपने काम की जगहों से अपने गांव-घर को जैसे-तैसे लौटने के लिये मजबूर हुए जबकि सरकारों ने कुछ करने का दिखावा करना भी छोड़ दिया। यह त्रासदी जिसकी व्यापकता व करुणा का भारतीय इतिहास में शायद कोई और उदाहरण नहीं है, लंबे समय तक जनता की चेतना में गूंजती रहेगी। सत्ता के अंगों - सरकार, न्यायपालिका, मीडिया, इत्यादि ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि प्रभावित गरीब व शक्तिहीन थे। करोड़ों मजदूरों के इस उलटे प्रवास में दसियों करोड बेरोजगार हो गये एवं बेरोजगारी दर में तीव्र बढोतरी हुई। अगर अल्प-रोजगार को जोड़ा जाये तो ग्रामीण बेरोजगारी पहले से ही काफी अधिक है और इस उलट प्रवास से उसमें तीव्र बढोतरी हुई है। बिहार जो मुख्यतः क षि आधारित राज्य है जहां 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है इस मामले में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों मे से है।

कोरोना महामारी ने बिहार के इस चुनाव पर अपना साया डाला है। इसने आरएसएस-भाजपा के तिकडमों एवं जदयू के नेता नितीश की तथाकथित छवि का पर्दाफाश किया है। यह छवि मुख्यतः कारपोरेट नियंत्रित, उच्च जातीय कर्मियों से भरे मीडिया द्वारा रची हुई थी। बिहार सरकार व केन्द्र सरकार जहां दोनों में आरएसएस-भाजपा नेत त्वाधीन उन्हीं शक्तियों का शासन है, ने देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे बिहार के करोडों मजदूरों की मदद के लिये कुछ नहीं किया। राज्य व केन्द्र सरकारों ने उन्हें उनके हाल पर छोड दिया और उनका उपहास तक किया व उन्हें कोरोना के फैलाव के लिये जिम्मेदार ठहराया। बिहार से बाहर फंसे मजदूरों व छात्रों के घर लौटने में भी नितीश कुमार ने बाधा डाली। नितीश ने उनकी देखभाल के लिये न तो केन्द्र सरकार पर कोई दबाव बनाया और ना ही उसकी सरकार ने कोई कदम उठाये। भोजन व आसरे से वंचित इन बिहारियों की दुर्दशा के प्रति उन्होंने आंखें बंद कर ली। बिहार की जनता की हालत, जहां केवल जीवित रहने के लिये लोगों को बडी संख्या में राज्य के बाहर प्रवास करना पडता है के लिये शासक वर्गीय पार्टियों की नीतियां जिम्मेदार हैं। लोगों की भयानक दुर्दशा पर शासकों की कोई सहानुभूति भी नहीं थी। मोदी ने जनता से अपना ख्याल खुद रखने के लिये कहा और नितीश ने लोगों को पुलिस के हवाले छोड़ दिया। जन-विरोधी चरित्र उनकी प्रक ति में ही है। आर.एस.एस.-भाजपा बिहार की जनता को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का वायदा कर रही है। क्या इसका यह मतलब है कि अन्य राज्यों में इसकी कीमत ली जायेगी? या वह चाहती है कि राज्य सरकारें इसका भुगतान करें। जीएसटी लागू करने के बाद राज्य सरकारों की स्थिति पहले ही नगर परिषदों जैसी हो चुकी है और केन्द्र सरकार द्वारा अपनी देनदारी से पीछे हटने से उनकी स्थिति और खराब हो गई है।

बिहार बेरोजगारी की पीडा से कराह रहा है। राजद नेता ने जब 10 लाख नौकरियां देने का वायदा किया तो शासक भजपा-जदयू ने पैसा कहां से आयेगा कहकर उसका मजाक उडाया। परंतु कुछ दिन बाद आरएसएस-भाजपा ने 19 लाख नौकरियां देने का वायदा किया। इन पार्टियों के पास रोजगार निर्मित करने की कोई योजना नहीं है और ना ही वे इसके लिये आवश्यक नीतियां लागू करने के लिये तैयार हैं परंतु ये वायदे बिहार में बेरोजगारी की समस्या की व्यापकता को इंगित करते हैं। बेरोजगारी की समस्या विशाल रुप धारण कर चुकी है। बिहार में बेरोजगारी का औपचारिक आंकडा 11 प्रतिशत है जबकि कुछ दिन काम मिलने वाले (अल्प-रोजगार) लोगों को बेरोजगार नहीं माना गया है। बिहार के नौजवानों में बेरोजगारी का आंकड़ा 55 प्रतिशत अनुमानित है। न केवल बेरोजगारों की कुल संख्या विशाल है बल्कि नियमित वेतन पाने वालों की संख्या अत्यंत कम है। 10 में से केवल 1 बिहारी (करीब 10 प्रतिशत) नियमित वेतन पाते हैं जबकि अखिल भारतीय औसत इससे ढ़ाई गुना अधिक है (करीब 24 प्रतिशत)। बेरोजगारी इतनी गंभीर हो गई है कि वह शासक वर्ग के एजेण्डा में भी आ गई है।

शासक वर्गीय पार्टियां इस समस्या को हल नहीं कर सकती हैं। बिहार अर्ध-सामंती क षि संबंधों की घुटन व उद्योगों के अभाव से पीड़ित रहा है। पहले से मौजूद उद्योग जैसे डालमियानगर के उद्योग भी बंद हो चुके हैं। दरभंगा में अशोक पेपर मिल बंद है एवं उत्तर बिहार में कई चीनी मिलें बंद हैं। न तो ग्रामीण दुर्दशा जिसकी जड़ में अर्ध-सामंती

क षि संबंध हैं और क षि पर कारपोरेट-परस्त हमले से जो और तीव्र हो रही है पर ध्यान दिया गया है और ना ही उद्योगों के पूर्ण अभाव पर। ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल जनसमूह आजीविका के साधनों से वंचित है। नितीश कुमार ने बंदोपाध्याय आयोग गठित किया था जिसने बड़े पैमाने पर भूमिहीनता एवं बडी संख्या में बंटाईदारी की उपस्थिति का उल्लेख किया था। उसने रिपोर्ट में लिखा था कि भूमि सुधार मुख्यतः लागू नहीं किये गये हैं और अगर *15* एकड़ की सीलिंग को सही ढंग से लागू किया जाये तो भूमिहीनों में वितरित करने के लिये लाखों एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जायेगी। उसने कुछ अनुशंसाएं की थीं। परतु नितीश ने जमींदारों की सेवा करते हुए इन अनुशंसाओं को नजरंदाज किया। नितीश के तीन डिसमिल (*0.03* एकड) आवासीय भूमि देने का वायदा भी अधिकतर कागज पर ही रह गया है। नितीश कुमार ने "सुशासन बाबू" की उपाधि से खुद को सुसज्जित किया परंतु इसका मतलब केवल पुलिस व नौकरशाही को पूर्ण शक्तियां देना ही है। उसकी सरकार ने भूमिहीन किसानों व खेत मजदूरों के संघर्षो पर निर्दयता से हमले किये हैं।

बिहार में सरकारी नौकरी ही गैर-क षि आय का एकमात्र स्रोत है। सरकारी पद बडी संख्या में खाली हैं और ठेका शिक्षकों व स्वास्थ्य कर्मियों जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है एवं अधिकार विहीन हैं, की फौज लगातार बढती जा रही है। नियमित किये जाने की उनकी मांग अनसुनी रह गई है। आर.एस.एस.-भाजपा तथा मोदी 'मेक इन इंडिया' - भारत में उत्पादन- की बात करते हैं पर विदेशों से आयात करते हैं; स्वदेशी की बात करते हैं पर विदेशी पर अमल करते हैं। इस मोर्चे पर वे केवल बातें करते हैं काम नहीं। उन विदेशी ताकतों के सामने उनका बढ़ता समर्पण जो भारत में अपना सामान बेचना चाहती हैं, स्पष्ट करता है कि उनके वायदे केवल लोगों को झांसा देने के लिए हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी का रवैया आर.एस.एस.-भाजपा के मकसद के अनुकूल है। आर.एस.एस.-भाजपा बिहार में कोरोना महामारी के प्रभावों को अनदेखा करने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि वे नितीश कुमार के नेत त्व की दुहाई देते हैं। चिराग पासवान आर. एस.एस.-भाजपा को दोषमुक्त करते हैं हालांकि वह केन्द्र में सत्तारुढ़ है तथा बिहार में शासक गठबंघन का महत्वपूर्ण भागीदार है; बल्कि मुख्य ताकत है क्योंकि नितीश कुमार उस पर निर्भर हैं। चिराग पासवान 'बिहार पहले, बिहारी पहले' का नारा दे रहे हैं परंतु उसी पार्टी - आर.एस.एस. -भाजपा - का समर्थन कर रहे हैं जो बिहारियों की विशेषकर कोरोना महामारी के दौर में दुर्दशा के लिए मुख्य रुप से जिम्मेदार है। लोजपा केवल सत्ता में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए लड़ रही है। उसके पास बिहार की जनता की समस्याओं को हल करने का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। शासक वर्गो की कुछ पार्टियां युवाओं- नई पीढ़ी - की बात कर रही हैं परन्तु उनकी यह नई पीढ़ी पुराने विचारों व हितों का ही प्रतिनिधित्व करती है।

शासक वर्गो के विपक्षी दलों के मुख्य गठबंधन का नेत त्व राजद कर रहा है तथा इसमें कांग्रेस तथा संशोधनवादी पार्टियां शामिल हैं। इस गठबंधन के पास जनता की समस्याओं का समाधान करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। राजद नेता तेजस्वी यादव आर.एस.एस.-भाजपा तथा उसके नेत त्वाधीन केन्द्र सरकार की आलोचना करने में ढ़िलाई बरत रहे हैं। शासक वर्गो की पार्टियों में आर्थिक नीतियों पर कोई मौलिक मतभेद नहीं है तथा उनमें से कुछ, विशेषकर कांग्रेस, हिन्दुत्व के नरम रुप की हिमायत करती रही हैं।

बिहार विधान सभा चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जब बिहार समेत पूरा देश अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। जनता बढ़ती बेराजगारी तथा नौकरियों पर हमले से जूझ रही है तथा घटती आमदनी तथा आवश्यक वस्तुओं के आम लोगों की पहुंच से बाहर जाने के खिलाफ जूझ रही है। मजदूरों, किसानों तथा खेत मजदूरों पर हमले तेज हो रहे हैं। मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों तथा महिलाओं पर हमले बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर मेहनतकश लोगों पर आतंक का राज कायम किया जा रहा है, संविधान तथा मौजूदा कानूनों द्वारा दिये गये जनवादी अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। आर.एस.एस.-भाजपा की अपने फासिस्ट शासन को सुद ढ़ करने की मुहिम को परास्त करना लाजमी है।

जनता के संघर्षो को विकसित करना जरूरी है- जमीन पर अधिकार तथा जीविका के साधनों की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए; उपयुक्त रोजगार तथा निशुल्क अच्छे स्तर की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तथा मजदूरो और किसानों के हालात सुधारने के लिए। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी इन संघर्षो को विकसित करने के लिए तथा जनता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी

24 अक्तूबर 2020

क षि अधिनियम सरकार के झूठे दावों में कील ठोंकते हैं।

देश के किसानों तथा खाद्यान्न उपलब्धता पर बड़ा हमला

ये तीन कानून हैं :

1. "आमदनी आश्वासन", कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम *2020*, संक्षेप में "मंडी बाईपास" अधिनियम।

2. मूल्य आश्वासन पर (बंदोबस्त एवं सुरक्षा) समझौता कृषि सेवा अध्यादेश, *2020*, संक्षेप में ठेका खेती अधिनियम।

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, *2020*

पूरे देश में उपरोक्त तीनों कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, जिन कानूनों को संसद में अलोकतांत्रिक ढंग से पारित घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री व मंत्री लगातार इसे किसानों के हित में बता रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने हितकारी कानूनों का इतना व्यापक विरोध क्यों हो रहा है। आईये, इन दावों की ठोस तथ्यों और अधिनियम के लिखित आधार पर परीक्षा लें।

दावा 1 : किसान अब अपनी फसल कहीं भी बेचने को मुक्त है। सरकार किसानों को विकल्प दे रही है।

भारत के *86.2* फीसदी किसान *5* एकड़ से कम के मालिक हैं। कटाई के बाद वे अपनी फसल को तुरन्त बेचने के दबाव में रहते हैं क्योंकि कर्ज अदा करने हैं, अगली फसल की लागत खरीदनी है, अन्य जरूरतें हैं, और फसल को रोक कर, उसका परिवहन करके (जो सरकारी खरीद में सरकार करती थी) सबसे अच्छे दाम का सौदा करने की उनमें कोई क्षमता नहीं है। वे सबसे करीब की मंडी में ही जाते हैं।

जो "कहीं भी बेचने" का दावा कर रहे हैं, जाहिर है, उन्हें किसानों के हालात से कोई सरोकार नहीं है और वे झूठ के समर्पित प्रचारक हैं। विकल्प कहां है ? कम्पनियां किसका विकल्प हैं ? अधिनियम ये नहीं कहते, जो उन्हें कहना चाहिए था, कि कारपोरेट, एमएसपी व सरकारी खरीद का विकल्प हैं।

दावा 2 : एमएसपी व सरकारी खरीद जारी रहेगी।

ठेका खेती की धारा *5* कहती है कि "किसानों को सबसे बेहतरीन कीमत सुनिश्चित" कराने के लिए यह कीमत "एपीएमसी मंडी के मौजूदा दाम अथवा इलेक्ट्रनिक ट्रेडिंग व व्यवसायिक प्लेटफार्म या अन्य कोई बेंचमार्क कीमत" से उसे सम्बन्ध किया जा सकता है - यहां न तो एमएसपी का उल्लेख है न सरकारी खरीद के दाम का, क्योंकि शायद इन्हें समाप्त किया जाना है! न तो सभी फसलों की एमएसपी की घोषणा है न ही सी*2+50* फीसदी के स्वामीनाथन फार्मूले की।

दावा 3 : किसान अब बिचौलियों के शोषण से मुक्त हो जाएंगे।

मंडी समितियों की स्थापना *1960* के दशक में किसानों को बेहतर दाम दिलाने और सरकारी खरीद की गारंटी तथा उन्हें लागत के समय निजी सूदखोरों से लिये गये कर्जों के बदले बेहद कम दाम पर फसल बेचने से बचाने के लिए की गयी थी। आधे दशक के बाद भी किसान वही शिकायत सरकारी मंडी के आढ़तियों के खिलाफ कर रहे हैं और सरकार की लाभकारी एमएसपी न घोषित करने, केवल *23* फसलों का एमएसपी घोषित करने और बहुत कम खरीदारी करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। मंडी बाईपास कानून से सरकार का दावा है कि मुख्य खलनायक, 'बिचौलियों' की बेड़ियां पूरी तरह खुल जाएंगी।

यह अधिनियम कम से कम *5* परतों में बिचौलिए खड़ा करते हैं, जो भूमिका ग्रामीण धनाढ्य लोग, जो आज भी बिचौलिये हैं पूरी करेंगे। धारा *2*(जी) के अनुसार कृषि समझौता "किसान तथा स्पांसर के बीच अथवा किसान, स्पांसर तथा कोई तीसरे पक्ष के बीच लिखित समझौता" होगा, जिसमें तीसरे पक्ष को अपरिभाषित छोड़ दिया गया है।

क) धारा *2*(जी) में स्पांसर ने कृषि सेवाएं प्रदान करनी हैं, जो *2*(डी) के अनुसार बीज, आहार, चारा, कृषि रसायन, मशीनरी व तकनीक सुझाव, गैर रसायनिक कृषि लागत व अन्य कृषि लागत आदि हैं। किसान इनका भुगतान करेगा। पर धारा *3*(*1*)(बी) कहती है कि "ऐसी कृषि सेवाओं के अमल की जिम्मेदारी की कानूनी बाध्यता स्पांसर की होगी या कृषि सेवा प्रदाता की"। यह "कृषि सेवा प्रदाता" बिचौलिया है।

ख) धारा *4*(*1*) व *4*(*3*) के अनुसार "क्वालिटी, ग्रेड तथा कीटनाशक अवशेषों के मानक, खाद्यान्न सुरक्षा मानक, अच्छी खेती, श्रम व सामाजिक विकास मानकों को भी कृषि समझौते में अपनाया जा सकता है"। धारा *4*(*4*) के अनुसार

"खेती या पशुपालन की प्रक्रिया या डिलिवरी के समय" गुणवत्ता की निगरानी व प्रमाणीकरण का काम "तीसरे पक्ष का योग्य पारखी" करेगा। यह एक और बिचौलिया है।

ग) धारा *10* "एग्रीगेटर (जमाकर्ता) अथवा कृषि सेवा प्रदाता" की व्याख्या करते हुए कहती है कि एग्रीगेटर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, "जिसमें किसान उत्पादन संगठन" भी शामिल है और जो किसानों अथवा किसानों के समूह और स्पांसर के बीच "एक बिचौलिये की भूमिका अदा करेगा" और "किसानों तथा स्पांसर दोनों को एग्रीगेशन सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करेगा। यह बिचौलिया तीन भूमिकाओं में रहेगा - यह ठेके के लिए छोटे किसानों की जमीन एकत्र करेगा, कम्पनियों की सेवाएं किसानों तक पहुँचाएगा और किसानों की फसल कम्पनियों तक पहुँचाएगा।

घ) ठेका अधिनियम की धारा *2*(ई) और मंडी बाईपास अधिनियम की धारा *2*(बी) कहती है कि 'किसान' की परिभाषा में 'किसान उत्पादक संगठन' (एफपीओ) शामिल है। एफपीओ संगठित करने का काम धनी किसान ही करेंगे और वे स्पांसर करने वाली कम्पनी के एजेंट का भी काम करेंगे। शुरु में एफपीओ की अवधारणा किसानों के स्वतःस्फूर्त समूह की थी, जिससे उन्हें व्यापारियों से सौदेबाजी में मदद मिलनी थी। अब यह कानून उनके लिए बिचौलिये की भूमिका बना रहे हैं, जो काम आज सूदखोर, बैंक के दलाल, आढ़तिये व व्यवसायिक एजेंट करते हैं। इन अधिनियमों में वंचितों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।

ङ) मंडी बाईपास कानून की धारा *5*(*1*) में एफपीओ द्वारा "इलेक्ट्रानिक व्यापार तथा लेन-देन मंच व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषि उपज के व्यवसाय की स्थापना व संचालन करने का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि ये निजी मंडी के मालिक व प्रबंधक बनेंगे।

समग्रता में स्पांसर कम्पनी व बिचौलियों के बीच सम्पूर्ण गठबंधन रहेगा और सरकार की अनुपस्थिति में वे सारे कार्यों पर नियंत्रण करेंगे। बिचौलियों से छुटकारा कहां है?

दावा 4 : गरीबों की खाद्यान्न सुरक्षा को कोई क्षति नहीं होगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में "अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्यान्न, तिलहन व तेल जैसे" की आपूर्ति के "नियामन की अनुमति केवल असाधारण परिस्थिति में" होगी और "कीमतों की व द्धि पर आधारित भंडारण की सीमा" इस कानून के तहत तभी लगाई जाएगी जब "*1*. बागवानी फसलों के फुटकर दाम में *100* फीसदी अथवा सूखी कृषि फसलों के फुटकर दाम में *50* फीसदी व द्धि, पिछले *12* महीनों के औसत दाम में होगी"।

कारपोरेट व विदेशी कम्पनियों के नियंत्रण में संचालित खाद्यान्न बाजार श्रंखला में अब खाने के दाम में व द्धि, जमाखोरी और कालाबाजारी पर कोई व्यवहारिक नियामन नहीं रहेगा। राशन का सस्ता अनाज नकदी हस्तांतरण में बदल दिया जाएगा और इसके *75* करोड़ लाभार्थी खुले बाजार से खाना खरीदेंगे।

कानून आगे लिखता है कि यह सारे परिवर्तन "कुछ समय के लिए अमल किये जा रहे" राशन व्यवस्था पर लागू नहीं होंगे। यह "कुछ समय के लिए" का राशन व्यवस्था हेतु संदर्भ काफी भयावह है।

दावा 5 : किसानों को जमीन से वंचित नहीं किया जाएगा।

ठेका कानून की धारा *8* में कहा है "कोई भी कृषि समझौता किसान की जमीन व घर को बंधक बनाने, उसे हस्तांतरित करने, बेचने या किराए पर उठाने के मकसद से नहीं किया जाएगा"। यह बहुत ही सुखद है।

पर धारा *9* लिखती है कि "कृषि समझौतों को" "केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी योजना के तहत संचालित बीमा या कर्ज योजना अथवा वित्तीय सेवा प्रदाता के साथ" सम्बद्ध किया जाएगा "ताकि किसान अथवा स्पांसर अथवा दोनो को कर्ज दिया जा सके तथा जोखिम से राहत दी जा सके"। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्ज योजना से सम्बन्ध बने जो किसान की जमीन गिरवी रखे बिना नहीं बन सकता, तब तक जब तक कानून यह न लिख दे कि गिरवी रखने हेतु सम्पत्ति स्पांसर कम्पनी देगी।

अगर ठेके में वित्तीय घाटा हो जाए तो रिकवरी का प्रावधान धारा *14*(*7*) में है, जिसमें लिखा है कि "देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी"। हालांकि धारा *15* "किसान की कृषि भूमि के विरुद्ध" वसूली प्रतिबंधित है सरकारी कर्ज योजनाएं अपने कानून के तहत वसूली करेंगी, इस अधिनियम की धारा *15* के तहत नहीं, जिससे वे केवल "सम्बद्ध" हैं।

दावा 6 : विपदाओं के कारण किसान को कोई घाटा नहीं होगा।

ठेका कानून की धारा *14*(*2*)(बी) में कहा है कि "स्पांसर को देय धनराशि के एवज में जब भी कहीं किसान के विरुद्ध वसूली का आदेश हो", जो लागत के सामानों के भुगतान के लिए होगा, "ऐसी धनराशि स्पांसर द्वारा किये गये वास्तविक खर्च से ज्यादा नहीं होगी"। अर्थ है कि लागत के दाम के अलावा स्पांसर द्वारा किये गये अन्य खर्चों की भी वसूली की जाएगी।

आगे, यदि "विपदाओं के कारण किसान पर कुछ धनराशि देय है", तब "किसान के विरुद्ध वसूली का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा"। यहां हालांकि कुल घाटा विपदाओं द्वारा ही हुआ है, किसान की सेवा के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण है कि इन सारी वसूलियों में सरकार सक्रिय भूमिका अदा करेगी।

दावा 7 : कोई सरकारी कर नहीं होगा और इसका लाभ कम्पनी और किसान बांट सकेंगे।

यह एक और बड़ा झूठ है। मंडी बाईपास कानून की धारा 6 कहती है कि "राज्य मंडी कानून या अन्य किसी राजकीय कानून के तहत" "मंडी शुल्क या कर" नहीं लगाया जा सकेगा। पर इसकी धारा 5(2) के अनुसार जो व्यक्ति इलेक्ट्रानिक व्यापार, लेनदेन मंच स्थापित करेगा, वह "उचित व्यापार हेतु व्यापार के तौर तरीके, शुल्क, ..., आदि के नियम बनाएगा और अमल करेगा"। तो सरकारी कर नहीं होगा पर मंडी शुल्क होगा, जिस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होगा।

इस सबसे तीन प्रमुख खतरे सामने खड़े हैं।

1. किसान कारपोरेट के नियंत्रण में आ जाएंगे। इन तीनों कानून की योजना है कि वे पूरी खेती पर "नील की खेती" की व्यवस्था अमल करा दें, जिसमें गांव के प्रबुद्ध वर्ग विदेशी कम्पनियों व कारपोरेट के बिचौलियों की भूमिका अदा करें और लागत तथा फसल खरीद के बाजार पर कारपोरेट का प्राधिकार हो जाए।

2. खाद्य सुरक्षा को विश्व बाजारों के आधीन ला दिया जाए। खाद्यान्न श्रंखला और खाद्यान्न सुरक्षा से सरकार के पूरी तरह पीछे हटने के बाद विदेशों की विशालकाय खाद्यान्न कम्पनियां सबसे सस्ते रेट पर विदेशों से आयात करेंगी। एबीसीडी कम्पनियां (आर्चर डेनियल्स मिडलैण्ड, बुंज, कारगिल, लुई ड्रेयफुस), जो दुनिया के अनाज व्यापार पर 70 फीसदी से ज्यादा नियंत्रण करती हैं, वालमार्ट, नेस्ले, पेप्सी, कोक और उनके भारतीय सहयोगी अम्बानी, अडाणी, टाटा, बिरला भारतीय कृषि उत्पादन को विश्व बाजार से पूरी तरह एकीकृत करके किसानों की खेती की स्वतंत्रता और खाद्यान्न सुरक्षा को पूरी तरह नष्ट कर देंगे।

3. भारतीय खाद्यान्न व राजनीतिक सम्प्रभुता पर हमला : कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बाद ये कम्पनियां आराम से उन खतरनाक जीएम बीज व टर्मिनेटर बीज तकनीक, आदि को बढ़ावा देंगी जो आज तक विरोध के कारण रुकी हुई थीं। यह हमारी बीज संप्रभुता को समाप्त कर हमारी खाद्यान्न व राजनीतिक सम्प्रभुता के लिए खतरा बन जाएगी।

दुनिया का कोई भी देश अब तक अपनी कृषि सम्प्रभुता व किसानों के विकास को विदेशी ताकतों को सौंप कर आगे नहीं बढ़ सका है।

आशीष मित्तल
महासचिव, एआईकेएमएस
वर्किंग ग्रुप सदस्य, एआईकेएससीसी

हाथरस पर बयान

(पेज 1 का शेष)

अपमान का सामना करना पड़ता है। जहां घरों में शौचालय नहीं बने हैं वहां मैदान के समय भी इसी तरह की जलालत झेलनी पड़ती है। इस तरह की सभी स्थितियों में दलित महिलाएं तरह-तरह से यौन हिंसा का शिकार बनती हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है कि जातीय उन्मूलन के लिए या जातीय उत्पीड़न को समाप्त करने का संघर्ष तब तक ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक वह इसके साथ-साथ भूमि सुधार के लिए संघर्ष को न जोड़ा जाए। पंजाब में पंचायती जमीनों में दलितों के हिस्से के लिए उनका संघर्ष और जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति के नेत त्व में महिलाओं की इस संघर्ष में भूमिका जाति उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई में, खासतौर से दलित महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई में जमीन के महत्व को और मजबूती से साबित करती है। यह घटना निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी शासन के तहत कानून व्यवस्था के चरमरा जाने से जुड़ी हुई है, परन्तु यह यहां तक सीमित नहीं है और उत्तर प्रदेश व अन्य प्रान्तों में यह दलित जनमानस के जीवन की एक वास्तविक सच्चाई है।

सफदरजंग अस्पताल कर्मचारियों के नेता तथा प्रगतिशील महिला संगठन के सदस्य पीड़ित परिवार के साथ दिन भर मौजूद थे। अगले दिन 30 सितम्बर को प्रमस तथा पीडीएसयू, दिल्ली ने विभिन्न क्षेत्रों में तथा केन्द्रीय विरोध में भाग लिया।

भाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी इस सामूहिक बलात्कार एवं हत्या का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस दमन की कड़े शब्दों में निन्दा करती है। इस अपराध के दोषियों के साथ सहयोग करने के अलावा और परिजनों को लाश न सौंपकर योगी की उत्तर प्रदेश सरकार ने उस गांव से 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके थाने में रखा हुआ है। इस डर से कि कहीं मोदी सरकार की पुलिस पीछे न छूट जाए, उसने भी दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन पर विरोध कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया है। बर्बर दमन के माध्यम से उत्पीड़ित लोगों की आवाज दबाई जा रही है।

भाकपा (माले) अपील करती है -

देशव्यापी विरोध आयोजित किया जाए।

नौजवान लड़की के सामूहिक बलात्कार व हत्या मामले में समयबद्ध रूप से कोर्ट से मामले का निपटारा किया जाए व उसे न्याय दिलाया जाए।

परिवार को लाश न दिये जाने, गिरफ्तारियों में विलम्ब तथा दोषी अफसरों पर की गयी कार्यवाही की जांच कराई जाए।

पित सत्ता के खिलाफ और मनुवाद के खुले पैरोकर आरएसएस-भाजपा शासन द्वारा इसे मजबूत करने का विरोध करो।

जातीय उन्मूलन तथा जातीय शोषण व अत्याचार की समाप्ति में भूमि सुधारों की अहम भूमिका हैं।

30 सितम्बर 2020

महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के हाथरस गैंगरेप व हत्या पर रिपोर्ट

[नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (एनएफआईडबल्यु), प्रगतिशील महिला संगठन (प्रमस), अनहद]

5 अक्टूबर, *2020* को, महिला संगठनों के प्रतिनिधि जिनमें एनी राजा, राष्ट्रीय महासचिव, एनएफआईडब्ल्यू, पूनम कौशिक, महासचिव प्रमस और अनहद की शबनम हाशमी, चार घंटे हाथरस के बुलगढ़ी गांव में व्यतीत करके आए।

हमने वहां विस्तार में उस दलित लड़की के घर के आठ सदस्यों से बात की जिसका बलात्कार *14* सितम्बर को हुआ और *29* सितम्बर *2020* को सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

पूरे इलाके में पुलिस का घेरा था और जो सड़क गांव और लड़की के घर को जाती है वहां भी पुलिस भारी संख्या में तैनात थी। दो जगहों पर हमने दबंग जाति के कुछ आदमियों को अपनी तरफ की कहानी मीडिया को बताते हुए सुना, जो कहानी अब उनकी तरफ से देश भर में लोगो में फैलाई जा रही है।

हम तीनो ने घर के सदस्यों को शोक जताया और उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम में साथ देने का वायदा किया।

हमारी लड़की की भाभी, बहन, माँ, दो भाइयों उसके पिता और उनके भाई-बहनों से काफी विस्तार में बात हुई। फिर हमारी उसके पिता के भाई से अलीगढ़ में मुलाकात हुई।

इसके बाद हम अलीगढ़ के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल अस्पताल और कालेज गए। वहां केस के सिलसिले में कई लोगों से बात हुई। हमने कई डॉक्टर और वहां काम करने वाले काफी लोगों से बात की, जिनकी उस लड़की से इलाज के दौरान मुलाकात हुई थी। हम डर के माहौल को देखते हुए किसी भी डाक्टर या स्वास्थ्य कर्मी का नाम नहीं लेंगे।

परिवार के साथ विस्तार में हुई बात काफी मुश्किल और भावुक थी पर हमने पूरा संयम रखा। अब हम एक विश्लेषण देते हैं कि हमने इस मुलाकात से क्या सब जाना।

प ष्ठभूमि, घटना, इलाज, म त्यु, अंतिम संस्कार

उत्तर प्रदेश की आबादी *23.7* करोड़ और कुल आबादी का पांचवां हिस्सा दलितों का होने के बावजूद वो हाशिए पर है। *1955* में जाति के नाम पर भेदभाव पर प्रतिबंध के बावजूद आज भी दलितों के खिलाफ भेदभाव अभी भी होता है। वे आज भी समाज के निचले तबके में आते हैं। *66*वीं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के मुताबिक सिर्फ *1.71* फीसदी अनुसूचित जाति के लोगों के पास खेती के लिए अपनी जमीन है। कई सरकारों ने दलितों को जमीन देने की बात कही पर भ्रष्टाचार, भेदभाव के कारण कुछ ही परिवारों को जमीन दी गई।

2. हाथरस जिले में बुलगढ़ी एक ठाकुर जाति प्रधान गाँव है, जिसमें दलित परिवारों के केवल *4-5* घर हैं। यह उप-जिला मुख्यालय हाथरस से *12* किमी दूर स्थित है। बाघाना ग्राम पंचायत है और यह चंदपा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। बुलगढ़ी गांव में लगभग *66* घर हैं और *504* लोग हैं। ठाकुर जमींदार समुदाय काफी समय से चाहते हैं कि दलित परिवार गाँव छोड़ दें और इसे केवल ठाकुर गाँव बना दें। वह जमीन, जो सरकारी योजनाओं में से एक के रूप में दलित परिवारों को दी गई थी, ने उन्हें क्रोधित कर दिया था, हालाँकि म तक लड़की के परिवार को जमीन कब आवंटित की गई थी, हमें पता नहीं चल सका था। दलित परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को बाहर जाने पर नियमित रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। आरोपियों में से एक ने म तक लड़की को परेशान करने के लिए पिछले छह महीनों में कई बार कोशिश की थी और परिणामस्वरूप उसने अकेले बाहर जाना बंद कर दिया था।

3. 14 सितंबर, *2020* को घर पर सभी काम खत्म करने के बाद, भैंस को चारा खिलाना, खाना बनाना और सफाई, जो सुबह *5* बजे शुरू हुई, वह अपनी माँ और भाई के साथ सुबह *9.30* बजे जानवरों के लिए घास काटने गई। वे एक-दूसरे से कुछ दूरी पर घास काट रहे थे। कुछ समय बाद माँ ने अपनी बेटी की तलाश की और पहले सोचा कि शायद वह घर लौट आए। अचानक उसने पाया कि उसका जूता उल्टा पड़ा हुआ है। उसने पगडंडी का पीछा किया और अपनी बेटी को एक खेत में पड़ा पाया, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान मिले, उसकी आंखें लाल थीं और वह बोल नहीं सकती थी कि गला घोंटने की वजह से उसकी जीभ दांतों के बीच दब गई थी और कट गई थी (जख्मी)। माँ मदद के लिए चिल्लाने लगी, एक बच्चे को देखा और चिल्लाते हुए उसे अपने बेटे को अपने घर से बुलाने के लिए कहा। उसने अपनी बेटी को आसपास पड़े कपड़ों से ढ़कने की कोशिश की। उसका व्याकुल पुत्र मौके

पर पहुँचा और बड़ी मुश्किल से वे चंदपा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुँचे। लड़की को एक ऊंचे चबूतरे पर रखा गया था। एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें काफी समय लग गया था। लड़की को बागला जिला अस्पताल, अलीगढ़ रोड, हाथरस भेजा गया।

4. बागला संयुक्त जिला अस्पताल में प्रारंभिक जांच और प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज में रेफर कर दिया गया। जब उसे मेडिकल कालेज लाया गया तो उसकी हालत गंभीर थी इसलिए वह कोई बयान नहीं दे पा रही थी। उसने गला घोंटने के अलावा कई चोटों का सामना किया था। गला घोंटने के कारण आंखों में रक्तस्राव था, और उसकी गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें लगी थीं, वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, क्वाड्रिलेजिया (चारों अंगों में लकवा) से पीड़ित थी। न्यूरोसर्जरी विभाग के अध्यक्ष द्वारा सीएमओ को लिखे गए पत्र के अनुसार, जेएनएमसी अस्पताल ने म त्युकालिक कथन (डाइंग डेकलरेशन) को दर्ज करने के लिए कहा, उसकी हालत गंभीर थी और उसे न्यूरोसर्जरी, फोरेंसिक मेडिसिन, और नेत्र विज्ञान, ओबीएस और स्त्री रोग विभाग भेजा गया था। वह तब HDU - हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भर्ती हुई थी।

5. 22 सितंबर, *2020* को जब वह कुछ होश में आई और बोलने में सक्षम थी, तो अध्यक्ष, न्यूरोसर्जरी विभाग, जेएलएन मेडिकल कालेज, अलीगढ़ ने उसका म त्युकालिक कथन एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करने के लिए कहा। यह गंभीर रोगियों के लिए एक नवाचार (प्रोटोकॉल) है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया।

6. 161 सीआरपीसी के तहत उसका बयान भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद धारा *376* डी हाथरस में प्रारंभिक प्राथमिकी में जोड़ी गयी थी जो कि भारतीय दण्ड संहिता *307*, *3(2)(5)* SC / ST अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज की गयी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा *26* सितंबर, *2020* को ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया है कि 'म तक एफआईआर दर्ज करने के समय एक बयान देने में असमर्थ थी'। जब उसका बयान IO द्वारा दर्ज किया गया तो उसने *4* लोगों का नाम दिया जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। इसलिए *376* डी को जोड़ा गया है, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई भी फरार नहीं है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। ट्वीट का लिंक : https://twitter-com/hathraspolice/status/1309859079112646656\s¾20

7. रोगी द्वारा दिए गए अधिनियम के विवरण के तहत एमएलसी रिपोर्ट में कहा गया है : छिद्र प्रवेश : योनि, पूर्ण / प्रयास : पूर्ण, पैठ द्वारा : लिंग। डाक्टर की अंतिम राय : am स्थानीय परीक्षा के आधार पर, मेरी राय है कि मर्मज्ञ संभोग के संबंध में बल के उपयोग के संकेत हैं, एफएसएल रिपोर्ट की लंबित उपलब्धता में राय सुरक्षित है।

8. एफएसएल रिपोर्ट कहती है : *1.* योनि / गुदा संभोग के विचारोत्तेजक कोई गीत नहीं हैं। *2.* शारीरिक हमले (गर्दन और पीठ) के सबूत हैं। घटना के आठ दिन बाद *22* सितंबर को फोरेंसिक जांच की गई थी। बलात्कार के मामलों में, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार, घटना के *72* घंटों के भीतर फोरेंसिक नमूने एकत्र किए जाने चाहिए। शुक्राणु *90* घंटे से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं।

9. मजिस्ट्रेट के सामने म तक लड़कियों का बयान, जो पीड़िता की म त्युकालिक घोषणा है, ऐसे मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है।

10. जेएनएमसी अस्पताल, अलीगढ़ और परिवार के विभिन्न सदस्यों, विभिन्न डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के अनुसार, स्थानीय हाथरस प्रशासन और स्थानीय भाजपा सांसद द्वारा परिवार पर जबरदस्त दबाव था, जिन्होंने अलीगढ़ अस्पताल का भी दौरा किया, उसे एम्स, दिल्ली शिफ्ट करें। अंत में जब परिवार ने दबाव में दम तोड़ दिया और अलीगढ़ के जेएनएमसी अस्पताल से उसे दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए कहा, तो जेएनएमसी ने उसे एम्स रेफर कर दिया, लेकिन उसे *28* सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी अगली सुबह मौत हो गई। पुलिस ने अलीगढ़ में परिवार को सूचित किया था कि उनके पास एक एम्बुलेंस है जो उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए तैयार है।

11. जब पिता की सहमति पोस्टमार्टम के लिए ली गई, तो उन्हें म तका का चेहरा दिखाया गया, लेकिन उसके अलावा किसी को भी उस समय या बाद में म तका को देखने की अनुमति नहीं थी।

12. परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि उनके पास पहली प्राथमिकी की कॉपी के अलावा कोई कागजात नहीं है, जो हाथरस में पंजीकृत था, म त्यु प्रमाण पत्र भी नहीं।

13. 29 सितंबर, *2020* को सुबह *2:25* बजे उनके गांव की एक शमसान भूमि में, पुलिस ने परिवार की इच्छा के खिलाफ उसके शरीर का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार को उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। लड़की की बुआओं ने विनती की, उसे ले जाने वाली एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की लेकिन परिवार के सदस्य बुरी तरह से परेशान थे और उसके बाद उनके घर के भीतर कथित रूप से मोर्चाबंदी की गई।

14. परिवार ने आरोप लगाया कि हर कदम पर पुलिस या प्रशासन से कोई समर्थन नहीं मिला बस धमकी और देरी ही मिला। जिस पल से वे पीड़िता को थाने लेकर गये वहां से लेकर उसके जबरन अंतिम संस्कार तक उन्हें प्रताड़ना, धमकी, पिटाई और मामले के प्रकाश में आने के बाद पैसे का लालच के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। परिवार विशेष रूप से उस अत्याचारपूर्ण तरीके से व्याकुल था जिस

तरह से पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को अनुमति दिए बिना उसका अंतिम संस्कार किया।

15. हाइमेनल चोटों की उपचार प्रक्रिया और परिणाम की पहचान करने के लिए एक अध्ययन मल्टीसेंटर, पूर्वव्यापी परियोजना द्वारा आयोजित किया गया था और इसने हाइमेनल ट्रामा की उपचार प्रक्रिया और परिणाम का दस्तावेजीकरण करने के लिए तस्वीरों का उपयोग किया था जो *239* प्रीपुबर्टल और प्यूबर्टल लड़कियों द्वारा बनाए रखा गया था। https://www.researchgate.net/publication/6402926_Healing_of_Hymenal_Injuries_in_Prepubertal_and_Adolescent_Girls_A_Descriptive_Studyble

अध्ययन का उद्देश्य प्रीपुबर्टल और किशोर लड़कियों में हाइमन की चोटों की उपचार प्रक्रिया और परिणाम की पहचान करना था। सभी *126* यौवन किशोर यौन उत्पीड़न के शिकार थे। हाइमन की चोटें विभिन्न दरों पर ठीक हो जाती हैं और गहरे घावों को छोड़कर पिछले आघात का कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता है। एक हाइमन रिम की अंतिम चौड़ाई लारिएशन की प्रारंभिक गहराई पर निर्भर था। लड़कियों के किसी भी समूह में कोई निशान ऊतक गठन नहीं देखा गया था। हाइमन की चोटें तेजी से ठीक हुई और अधिक व्यापक लेक्चर के अलावा पिछले चोट का कोई सबूत नहीं बचा। वास्तविक कर्म के *8* दिनों के बाद एकत्र किए गए *स्वाब* में बलात्कार के कोई सबूत नहीं होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नया विवरण गढ़ा जा रहा है

1. हम गंभीर चिंता और आक्रोश के साथ ध्यान दिलाते हैं कि मृतक का मृत्युकालिक कथन और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बावजूद सत्ता पक्ष के विभिन्न सदस्यों और दबंग जाति के सदस्यों ने एक कथा का निर्माण शुरू कर दिया है कि पीड़ित का बलात्कार नहीं हुआ था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने लड़की का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उसकी पहचान का खुलासा किया गया जो कानून का उल्लंघन करता है, यह कहने की कोशिश में कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करने पर दो साल तक की जेल की सजा है। वीडियो में जब पीड़िता से पूछा गया कि उन्होंने आपका गला क्यों घोंटा है, तो वह कहती है क्योंकि वह जबर्दस्तीश्का विरोध कर रही थी। 'जबरदस्ती' का इस्तेमाल यौन उत्पीड़न के लिए किया जाता है और यह वीडियो हाथरस के पुलिस स्टेशन का है। सरकार और बीजेपी द्वारा अपराधियों को बचाने की कोशिश में इस तरह के प्रयास बेहद निंदनीय हैं।

2. यूपी सरकार ने उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिन्होंने उच्च जाति के पुरुषों द्वारा दलित लड़की पर क्रूर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, और अब इसे योगी सरकार को बदनाम करने और यूपी में जातिगत दंगे कराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दे रहे हैं। केंद्र और यूपी में वर्तमान सरकार के तहत, असंतोष के हर कार्य को अब भाजपा और उसकी राज्य सरकारों को बदनाम करने की साजिश करार दिया जा रहा है। वे भूल गए हैं कि किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। हम इस तरह के सभी प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं चाहे वह वर्तमान में यूपी में हो या दिल्ली में शांतिपूर्ण नागरिक प्रतिरोध को एक साजिश के रूप में समाप्त करने के लिए।

https://indiatomorrow.net/2020/10/05/hathras&up&police&lodges&open&fir&against&unnamed&persons&for&conspiring&to&create&caste&tensions&and&destabilise&up&government/

https://www.ndtv.com/india&news/hathras&case&deep&conspiracy&in&hathras&up&police&files&19&cases&across&state&*23054193*–

3. कई विपक्षी नेताओं पर स्थानीय सवर्णों द्वारा हमला किया गया और यहां तक कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जब वे मृतक के परिवार से मिलने गांव गए थे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रतिनिधिमंडल मांग करता है कि :

1. संवैधानिक निकायों की बिगड़ती हालत, महिलाओं और खासकर दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

2. हाथरस मामले की समयबद्ध व अदालत की निगरानी में जांच की जाए।

3. हम भटकाव की कथा के प्रचार प्रसार की जांच की मांग करते हैं।

4. परिवार के जीवन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

5. जिलाधिकारी का निलंबन किया जाए।

6. हम न्याय से इंकार करने में जनप्रतिनिधि सहित सभी अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग करते हैं।

7. हम मांग करते हैं कि एनएचआरसी को जांच करनी चाहिए कि सभी असहमति को अपराधी क्यों बनाया जा रहा है।

8. एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन किया जाए।

9. दलित समुदाय के विकास के लिए इस अधिनियम के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में व्यापक जागरूकता और प्रचार के साथ इस संदर्भ की सभी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए।

गलवान घाटी -2

हिंद-प्रशांत में चीन अमेरिकी प्रतिद्वंदिता व भारत

कमल सिंह

भारत-चीन के बीच जारी तनाव स्थलीय सीमा तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक फलक है। हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत में जारी साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रतिद्वंद्वता इसकी बड़ी वजह है। गलवान घाटी (लद्दाख सीमा) में *15* जून, *2020* की घटना के बाद, अंडमान में अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज *1* का भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास इसका एक उदाहरण है। इसके एक माह पूर्व जून में भारत और जापान की नौसेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया था।

अमेरिका और भारत की नौसेना के प्रतिवर्ष होने वाला ''मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास'' एक तरह से अमेरिका के नेत त्व में सदस्य देशों की नौसेनाओं के प्रशिक्षण और संयुक्त सैन्य संगठन बनाने की प्रक्रिया है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान के साथ भारत का चतुष्कोणीय अनौपचारिक रणनीतिक मंच ''क्वाड'' की तुलना अब नाटो की तरह एक सैन्य संधि के रूप में की जा रही है। अमेरिका ने हिंद महासागर और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना के *60* प्रतिशत पोत और पनडुब्बियां रखने की घोषणा की है।

बदलते समीकरण

विगत दशक में वैश्विक राजनीतिक समीकरण तेजी के साथ बदले हैं। चीन- रूस- पाकिस्तान और ईरान नजदीक आ रहे हैं। इसका असर हिंद महासागर पर भी नजर आ रहा है। दिसंबर, *2019* के अंत में रूस-चीन और ईरान की नौसेनाओं ने ईरान के चाबहार बंदरगाह से हिंद महासागर के उत्तर ओमान की खाड़ी तक *17* हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चार दिवसीय युद्धाभ्यास किया। इस क्षेत्र से हर रोज *18* मिलयन बैरल तेल से लदे जहाज गुजरते हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में, चीन-रूस-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास कर चुके हैं। पूर्वी रूस और साइबेरिया में चीनी सेना साजो-सामान सहित युद्धाभ्यास में शामिल हुई थी। इसे *1981* के बाद का रूस का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया जा रहा है। रूस और चीन दोनों ने अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया में तैनात 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' थाड का विरोध किया है। रूस की सेना के जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर पोजनीखिर ने चीन में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अमेरिका थाड के जरिए चीन, रूस सहित दुनिया के किसी भी हिस्से में जब चाहे परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों से हमला की क्षमता विकसित करना चाहता है। अमेरिका और यूरोपीय ताकतों के विरोध और प्रतिबंधों की परवाह न करके क्रीमिया के रूस में पुनर्विलय विवाद में अमेरिका को चुनौती और सीरिया में अमेरिका के लाख प्रयत्नों के बावजूद रूस द्वारा समर्थित राष्ट्रपति बसर-अल असद को अपदस्थ करने में अमेरिका की नाकामयाबी और इनमें चीन का रूस को प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन, वैश्विक पटल पर उभर रहे नए समीकरण को जाहिर करता है।

नयी सामुद्रिक रणनीति

नरेन्द्र मोदी सरकार जिस तेजी से सुरक्षा क्षेत्र में अमेरिका के नजदीक आ रही है, रूस और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। अमेरिकी 'स्टकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट' के अनुसार *2008-2012* तक भारत के कुल हथियार आयात का *79* फीसदी रूस से होता था। यह पिछले पांच सालों में घटकर *62* फीसदी रह गया है। वहीं अमरीका और पाकिस्तान के बीच हथियारों का सौदा एक अरब डालर से बढ़कर पिछले साल *2.1* करोड़ डालर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान अमरीका की जगह रूस और चीन से हथियार खरीद रहा है।

वैश्वीकरण के साथ भारतीय विदेश नीति कथित तटस्थता से हटकर अमेरिका की तरफ झुकती चली गयी, इसकी प्रतिछाया विदेश नीति और प्रतिरक्षा नीति पर भी देखी जा सकती है। भारत की सामुद्रिक नीति में बदलाव की प्रक्रिया को मनमोहन सिंह के काल में भारतीय नेवी द्वारा *2007* में घोषित ''समुद्र के उपयोग की स्वतंत्रता या भारत की सामुद्रिक रणनीति" इसी क्रम में है। यह हिंद महासागर को सैन्य प्रतिद्वंद्वता से मुक्त ''शांत क्षेत्र'' बनाने की परंपरागत नीति से अलग नीति थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने समुद्र के ''उपयोग की स्वतंत्रता'' को उसके अगले मुकाम ''समुद्र सुरक्षा'' से जोड़ कर इसे अग्र सक्रिय (प्रोएक्टिव) रणनीति में बदल दिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के *66*वें गणतंत्र दिवस (*26* जनवरी, *2015*) पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उस समय भारत और अमेरिका ने ''एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए संयुक्त रणनीतिक नजरिया'' जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा *15* मार्च, *2015* को घोषित ''सागर'' (Security and Growth for All in the Region & SAGAR) और भारत सरकार की नयी सामुद्रिक नीति (Ensuring Secure Seas- Indian Maritime Security Strategy) अमेरिका के साथ मिलकर तैयार उक्त हिंद प्रशांत की संयुक्त रणनीतिक नजरिए का अंग है। अब ''सामुद्रिक सुरक्षा'' का यह ठेका हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं है। भारत की भूमिका को हिंद-प्रशांत, दक्षिण अफ्रीका सागर, अदन की खाड़ी समेत पूरे क्षेत्र को समेटते हुए दक्षिण प्रशांत में चीन सागर तक विस्त त कर दिया गया है।

पूरे क्षेत्र में भारतीय नौसेना की भूमिका सुरक्षा प्रदाता (पुलिसिंग), अमेरिका समेत विभिन्न शक्तियों के साथ रणनीतिक समन्वय इस नयी सामुद्रिक रणनीति के अंग हैं। जनवरी, *2020* में भारत सरकार द्वारा आयोजित ''रायसीना संवाद'' के दौरान अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैट पोटिंगर ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका से लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तट को इसमें सम्मिलित बताते हुए कहा ''अमरीका के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र का विस्तार हॉलीवुड से बॉलीवुड की जगह अब कैलिफोर्निया से किलिमंजारो तक है।'' भारतीय विदेश मंत्रालय में हिंद-प्रशांत प्रभाग के नाम से एक अलग विभाग बना लिया है। अमेरिका ने अपनी प्रशांत कमान का नाम बदलकर हिंद-प्रशांत कमान कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य समझौतों में जंगी जहाजों के लिए ईंधन भरने, रसद आदि सुविधाओं से संबंधित संधि लेमोआ (Logistics EÛ change Memorandum of Agreement & LEMOA),भारत द्वारा अमेरिका को बेचे जा रहे सैन्य प्लेटफार्मों और वहां उच्चस्तरीय सुरक्षा, संचार उपकरणों के उपयोग की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से संबंधित संधि कॉमकासा (Defense Framework Agreement] and the Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA) सम्मिलित हैं।आस्ट्रेलिया के साथ भी भारत ने इसी प्रकार का समझौता 'म्यूचुअल लाजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' कर लिया है। इसके अनुसार दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के यहां सैन्य ठिकानों के उपयोग के लिए राह खुल गयी है। पिछले *6* वर्षों में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में चार गुना व द्धि हुई है।

अंडमान निकोबार और चीन

भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा *6100* किलोमीटर है। हिंद महासागर में शंकु आकार में तीन ओर समुद्र से घिरे भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि के अलावा इसके अंतर्गत अरब सागर में मालदीव के निकट तक विस्त त लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के मुहाने से मलक्का जलडमरू मध्य के निकट तक विस्त त अंडमान सागर में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सामुद्रिक सीमाओं को जोड़ने पर भारत की सामुद्रिक सीमा *7516.6* किलोमीटर होती है। भारत की उत्तर सीमा में हिमालय पर ऊंचाई पर होने के कारण चीन बेहतर स्थिति में है, लेकिन हिंद महासागर में भू-राजनीतिक स्थितियां भारत के अनुकूल हैं।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना ने अपना तीसरा सैन्य हवाई अड्डा आईएनएस कोहासा पोर्ट ब्लेयर से *300* किलोमीटर दूर बनाया है। अंडमान सागर दक्षिण पश्चिमी कोने पर संकरा होते हुए मलक्का खाड़ी तक जाता है। मलक्का घाटी मलेशिया के मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आचेह (सुमात्रा) *150* किमी दूर है। यहां रणनीतिक द ष्टि से महत्वपूर्ण मलक्का जलसंधि है। हर साल करीब *1* लाख *20* हजार जहाज हिंद महासागर से गुजरते हैं, जिनमें से *70* हजार मलक्का जलसंधि से जाते हैं। मलक्का संधि की राह से चीन, जापान और कोरिया के लिए कच्चा तेल जाता है। मध्यपूर्व और अंगोला से चीन के आयातित तेल में से *80* फीसदी से ज्यादा तेल मलक्का जलसंधि के संकरे रास्ते से गुजरता है। सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित इस खाड़ी के पूर्वी सिरे पर अमेरिका का खास सहयोगी सिंगापुर है। संघर्ष की स्थिति में मलक्का खाड़ी बेहद अहम चोक प्वाइंट है। इसे रोक कर चीन के ऊर्जा स्रोत को तगड़ी चोट पहुंचाई जा सकती है। ऐसे में चीन को जो दूसरा रास्ता अपनाना होगा उसका खर्च लगभग *220* बिलियन डालर बढ़ जाएगा। यह दूसरा रास्ता सुमात्रा और जावा के बीच के सुंडा जलडमरू-मध्य या उससे भी पूरब लोंबार्क जलडमरू-मध्य से जाता है।

चीन की समुद्री रेशम मार्ग की योजना और थाइलैंड में पनामा व स्वेज की तर्ज पर नहर की योजना जवाबी रणनीति समझी जा रही है। चीन म्यांमार के जरिए और थाइलैंड में नहर का निर्माण करके मलक्का संधि की राह के विकल्प के प्रयास में है।

थाईलैंड : मलक्का जलसंधि का विकल्प

स्वेज नहर के जरिए जिस तरह मूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच मार्ग निकाला गया, पनामा नहर के जरिए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ा गया, उसी तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए थाईलैंड के बीच से एक नहर बनाने की चाहत लंबे समय से रही है। इस दिशा में थाइलैंड सरकार 'क्रा नहर योजना' (Kra Isthmus Canal) पर काम कर रही है। यह नहर लगभग *102* किलोमीटर लंबी, *400* मीटर चौड़ी और *25* मीटर गहरी होगी। थाईलैंड के एक ओर दक्षिण चीन सागर है, दूसरी ओर हिंद महासागर। थाईलैंड के बीचो-बीच यह नहर दक्षिणी चीन सागर को सीधा हिंद महासागर से जोड़ेगी। इससे सिंगापुर के रास्ते हिंद महासागर को जाने वाले जहाज सीधे इस नहर से होकर गुजरेंगे। इससे बड़ी मात्रा में राजस्व तो हासिल होगा ही, चीन से पश्चिम एशिया के लिए *1,200* किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। जहाजों के आने-जाने में भी लगभग *72* घंटे की बचत होगी। यह जिस तरह से व्यवसायिक मकसद के लिए लाभकारी है, युद्ध की स्थिति में भी इसका महत्व है। यही वजह है कि भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया इस नहर के बनाए जाने से सशंकित हैं, जबकि चीन इसमें अत्यधिक रुचि ले रहा है।

बांग्लादेश में चीन

चीन उत्तरी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के माध्यम से प्रवेश की दिशा में बढ़ रहा है। अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व, म्यांमार के

दक्षिण, थाईलैंड के पश्चिम और अंडमान द्वीप समूह के उत्तरी हिन्द महासागर में है। बंगाल की खाड़ी में सबसे व्यस्त बंदरगाह बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है। इस बंदरगाह के उपयोग के लिए बांग्लादेश ने भारत और चीन दोनों के साथ समान आधार पर समझौता किया है। चीन ने चटगांव बंदरगाह पर अपने लिए एक कंटनेर-पोर्ट तैयार किया है। इसका असर यह होगा कि अरुणाचल से लेकर असम समेत भारत के सात हिमालयी राज्यों तथा असम, नेपाल, भूटान के लिए एकमात्र सामुद्रिक बंदरगाह में चीन की उपस्थित के कारण इन राज्यों के बाजार और संसाधनों तक चीन की पहुंच में आसानी होगी।

बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इस समय वह बांग्लादेश के सबसे बड़े व्यवसायिक साझीदारों में से एक है, दोनों के बीच *12* अरब डॉलर वार्षिक व्यापार हो रहा है। गलवान घाटी में भारत-चीन सीमा पर हालिया टकराव के अगले दिन *16* जून, *2020* को चीन ने बांग्लादेश के मत्स्य संसाधन और चमड़ा समेत *5161* उत्पादों पर *97* प्रतिशत तक टैरिफ में छूट का ऐलान किया। बांग्लादेश के साथ व्यापरिक संबंधों के साथ चीन के सामरिक संबंध भी विकसित हो रहे हैं। बांग्लादेश की सेना चीनी टैंकों से लैस है। इसकी नौसेना में चीन के युद्धपोत और वायुसेना में चीन के लड़ाकू जेट विमान हैं। चीन ने बांग्लादेश को दो पनडुब्बियां दी हैं वह उसकी नौसेनाओं के लिए बंगाल की खाड़ी में दक्षिणपूर्व समुद्र तट में बेस तैयार कर रहा है। चीन चटगांव के सोनादिया में एक गहरे बंदरगाह के निर्माण के लिए प्रयासरत है। बांग्लादेश के पायरा गहरे समुद्र बंदरगाह के निर्माण के लिए चीन ने *60* करोड़ डालर (*4300* करोड़ रुपए) का अनुबंध किया है। इसके जरिए वह भारतीय समुद्र तट के काफी करीब पहुंच जाएगा और हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से पर नजर रख सकेगा। चीन ने बांग्लादेश के सिलहट हवाई अड्डे को आधुनिकीकरण का ठेका लिया है और वह इसका प्रबंधन करेगा, इसी तरह वह लालमोनिरहाट हवाई अड्डे को पट्टे पर लेने की कोशिश कर रहा है। इन दो हवाई अड्डों से हवाई मार्ग द्वारा असम सहित भारत के सात राज्य जद में आ जाते हैं।

नेपाल-तिब्बत रेल लाइन व आर्थिक गलियारा

नेपाल को तिब्बत से जोड़ने के लिए चीन एक रेलवे लाइन भी बिछा रहा है। शी जिनपिंग ने नेपाल यात्रा के दौरान चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे की शुरुआत की थी। इसके तहत चीन का इरादा तिब्बत को नेपाल से जोड़ना है। चीन नेपाल गलियारा, चीन-पाकिस्तान और चीन-म्यांमार गलियारों के बीच में पड़ता है। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को लेकर उत्पन्न सीमा विवाद के मध्य चीन ने अपनी सेना की एक बटालियन उत्तराखंड में लिपुलेख के नजदीक तैनात कर नेपाल को आश्वस्त किया है कि वह भारत से डरे नहीं।

म्यांमार : क्युक्फ्यू बंदरगाह

म्यांमार में चीन *7.3* बिलियन डालर के साथ क्युक्फ्यूमें एक बंदरगाह बना रहा है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में होगा। यहां चीन का मकसद म्यांमार के जरिए हिंद महासागर तक पहुंचना है। इसके साथ *2.7* बिलियन डालर लागत से क्युक्फ्यू विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक गलियारा, चीन के युन्नान प्रांत में कुनमिंग तक *1.5* बिलियन डालर की तेल पाइपलाइन और इसके समानांतर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का टर्मिनस विकसित किया जा रहा है।

म्यांमार दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य, चारों ओर से जमीन से घिरे चीन के युन्नान प्रांत और हिंद महासागर के बीच है। चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा लगभग *1700* किलोमीटर लंबा है। यह चीन के युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से म्यांमार के दो मुख्य आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है। युन्नान प्रांत में म्यामांर की सीमा के साथ *2010* से लेकर अब तक कई आर्थिक क्षेत्र बना कर म्यांमार को चीन को जोड़ने की कोशिश जारी है। यहां से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए पाइपलाइन भी बनाई गयी है। *21* वीं सदी की सिल्क रोड ''बेल्ट रोड इनिशिएटिव'' के तहत चीन का इरादा कम से कम *70* देशों के माध्यम से सड़कों, रेल की पटरियों और समुद्री जहाजों के रास्तों का जाल सा बिछाकर चीन को मध्य एशिया, मध्य पूर्व और रूस होते हुए यूरोप से जोड़ने का है। पहले मध्य म्यांमार के मंडाले से इस गलियारे को हाई स्पीड ट्रेन से और पूर्व में यंगान (रंगून), पश्चिम में म्यांमार के क्युक्फ्यू स्पेशल इकनामिक जोन से जोड़ा जाएगा।

चीन विकास बैंक और म्यांमार विदेशी निवेश बैंक में समझौते के अनुसार क्युक्फ्यू-कुनामिंग तक *1,060* किमी पाइप लाइन बनाने के लिए *2.4* अरब डालर कर्ज की व्यवस्था की गई है। यह पाइपलाइन प्रति दिन *400,000* बैरल तेल का परिवहन करने में सक्षम है। अब क्युक्फ्यू बंदरगाह टर्मिनल के जरिए मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते को छोड़ मध्य पूर्व से तेल और गैस से लदे जहाज सीधे जा सकेंगे। चीन-म्यांमार तेल पाइप लाइन परियोजना का संचालन अप्रैल *2017* में शुरू हो चुका है। इसकी लंबाई *1420* किलोमीटर है। क्युक्फ्यू-कुनामिंग रेलवे लाइन भी बिछायी जा रही है। यह रेलवे लाइन *1,215* किलोमीटर लंबी होगी।

कम्बोडिया में चीन का फौजी अड्डा

अंडमान निकोबार द्वीप समूह से *1000* किलोमीटर की दूरी पर कंबोडिया के कोह कांग में दारा सकोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अरबों डालर खर्च करके चीन एक विशाल नौसैनिक अड्डा बना रहा है। कंबोडिया ने *99* साल की पट्टे पर यह जमीन चीनी कंपनी को दे दी है। चीन यहां जंगी नौसैनिक जहाज, लड़ाकू जेट वायुयान और पनडुब्बियां तैनात कर सकेगा। दारा सकोर हवाई अड्डे से चीन की

नौसेना और एयरफोर्स दोनों ही आसानी से वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में घुस सकेंगे। नतीजतन, मलक्का जलडमरू-मध्य से जाने वाले समुद्री मार्ग पर भी चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी। इस सैन्य अड्डे से चीन इस पूरे इलाके में अपनी हवाई क्षमता का प्रदर्शन और दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।

हिंद महासागर से हिंद-प्रशांत तक

हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत बड़ी शक्तियों के बीच प्रभुत्व की प्रतिद्वंदिता के अखाड़े बने हुए हैं। हिंद महासागर पर दूसरे विश्वयुद्ध तक ब्रिटेन का वर्चस्व था। उसे ब्रिटेन की झील कहा जाता था। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विश्व राजनीति में समाजवादी शिविर और अमेरिका नीत पूंजीवादी शिविर में टकराव था। उपनिवेशों एवं अर्द्धऔपनिवेशिक देशों का मुक्ति संघर्ष तेज होता गया और बरतानिया साम्राज्य सिकुड़ता गया। साम्राज्यवाद की कमान ब्रिटेन की जगह अमेरिका ने थामी। औपनिवेशिक गुलामी से आजादी के संघर्ष के साथ इन देशों और आम जनता की ख्वाहिश रही है कि हिंद महासागर शांत क्षेत्र घोषित हो। यहां जहाजों का मुक्त आवागमन रहे। हिंद महासागर में प्रभुत्ववादी शक्तियों के सैन्य उपस्थिति, नौसेनिक अड्डे, दबाव और व्यूहबंदी नहीं हो। लेकिन, कच्चे माल की लूट और व्यापार पर नियंत्रण के लिए हिंद महासागर पर नियंत्रण साम्राज्यवादियों के लिए नितांत जरूरी है। मलेशिया के द्वीप डियेगोगार्सिया में ब्रिटिश-अमेरिकी नौसेनिक अड्डा इसका ज्वलंत उदाहरण है। अमेरिकी साम्राज्यवाद की रणनीतिकार अल्फ्रेड थेयर मेहैन का एक कथन साम्राज्यवादी नीतिकारों के लिए दिशानिर्देशक है, जिसमें बताया गया है,"हिंद महासागर पर जिसका नियंत्रण है, उसी का एशिया पर प्रभुत्व होगा। यह महासागर *20*वीं सदी में सातों समुद्रों में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। विश्व के भवितव्य का निर्णय इसके जल तल पर होगा।" आज हम *21*वीं सदी में हैं, अमेरिकी प्रभुत्व को गहरी चुनौती मिल रही है। बहुध्रुवीय विश्व के विकास के साथ प्रभुत्व की प्रतियोगिता के अखाड़े में नए खिलाड़ी उतर चुके है। चीन का उदय, दक्षिण चीन सागर में अंतर्विरोधों का विकास, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदम, इन सब के बीच हिंद महासागर का विस्तार हिंद-प्रशांत के रूप में किया जा रहा है।

एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया तीन महाद्वीपों के बीच विस्त त हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर (प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद) है। व्यापारिक द ष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। यहां दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग (अंतर्राष्ट्रीय सागर लेन) है। स्वेज नहर यूरोप और भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर से लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर से होते हुए यह समुद्री मार्ग मलक्का जलसंधि, दक्षिण चीन सागर से होते हुए यूरोप को सुदूर पूर्व से जोड़ता है। चीन सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। यहां से यह उत्तरी व दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लिए सबसे कम दूरी का मार्ग है। दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी (*2.50* अरब जनता) के बीच यह संचार व परिवहन का माध्यम है। इस रास्ते से विश्व का लगभग आधा समुद्री व्यापार होता है, इसमें लगभग *20* फीसदी ऊर्जा संसाधन हैं। वे देश जो समुद्र तटीय नहीं हैं, वहां होने वाले उत्पादन (कच्चा तेल) को ऑफ शोर उत्पादन कहते हैं। इसका लगभग *40* फीसदी हिंद महासागर से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समुद्र तटीय देशों में पाए जाने वाले कच्चे तेल का *65* फीसदी और प्राकृतिक गैस का *35* फीसदी भंडार हिंद महासागर में है। ऊर्जा शक्ति आज विकास की मुख्य कुंजी है। इसके अभाव में सभी उद्योग, कल-कारखाने और दैनिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी।

दक्षिण चीन सागर

प्रशांत महासागर के पश्चिम किनारे पर चीन सागर दो भाग में बंटा हुआ है। पूर्वी चीन सागर के एक ओर चीन है तो दूसरी ओर कोरिया और जापान। यहां कोरिया और चीन के बीच पीला सागर है। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी ह्वांगहो (पीली नदी) इसमें गिरती है। पूर्वी सागर के शेष हिस्से के सामने जापान और फिलपीन्स सागर हैं। विवाद पूर्वी सागर में द्वीपों को लेकर भी है परंतु यहा जापान हावी है। दक्षिण चीन सागर में क्षेत्राधिकार को लेकर मुख्य विवाद हैं। यहां एक तरफ समुद्र के तट पर वियतनाम चीन और ताइवान हैं तो दूसरी ओर सामने की तरफ वाले तट पर फिलीपींस, मलेशिया और ब्रूनेई। चीन के अनुसार उसकी समुद्री सीमा अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार में नौ बिंदुओं वाली आभासी रेखा (नाइन-डैश लाइन) है। इसे आधार मानने से दक्षिण चीन सागर का *80* प्रतिशत हिस्सा चीन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नाइन डैश लाइन और चीन सागर पर चीन का दावा नया नहीं है। चीन की यह समुद्री सीमा छिंग वंश और उसके बाद क्वोमितांग की सत्ता के दौर में भी थी। असल में वर्तमान विवाद का केंद्र दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटली और पार्सल द्वीप समूह हैं। इन दोनों द्वीपों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर में मछलियों की हजारों नस्लें पाई जाती है। दुनिया भर के मछलियों के कारोबार का करीब *55* प्रतिशत हिस्सा या तो दक्षिणी चीन सागर से गुजरता है, या वहां पाया जाता है। स्कारबोरो शोल द्वीप पर फिलीपींस दावा करता है। वह चीन की आभासी रेखा (नाइन-डैश लाइन) की वैधता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त नातुना सागर क्षेत्र इंडोनेशिया के समद्री अधिकार के अंतर्गत है। आरोप है कि चीन यहां भी अनुचित दखलंदाजी कर रहा है।

प्रशांत क्षेत्र या दक्षिण चीन सागर पर भारत का किसी तरह का कोई दावा नहीं बनता है। भारत का क्षेत्राधिकार

हिंद महासागर की हद में ही सीमित है। इसके बावजूद, भारत हिंद-प्रशांत नीति के तहत चीन सागर के विवाद में दिलचस्पी ले रहा है। चीन और अमेरिका के बीच प्रभुत्व की प्रतियोगिता तेज होने के साथ अमेरिका ने भी इस विवाद में दखल दिया है। वियतनाम मुक्ति युद्ध में पराजय के चार दशक से अधिक समय बीतने के बाद, वियतनाम और अमेरिका के बीच अब न केवल आर्थिक-राजनीतिक बल्कि प्रतिरक्षा संबंध भी विकसित हो रहे हैं। समाजवादी चीन और समाजवादी वियतनाम के बीच संबंधों के मित्रता से शत्रुता में बदलने की निर्णायक शुरुआत *1979* में उस समय हो गई थी, जब चीन और वियतनाम के बीच सीमा विवाद दोनों के बीच युद्ध में बदला था। इस युद्ध ने दुनिया भर के कम्युनिस्टों और उन प्रगतिशील लोगों के मनोबल पर गहरा आघात किया जो समझते थे कि पूंजीवादी राष्ट्रवाद की जगह समाजवाद, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर आधारित होता है। उनके बीच राष्ट्रीय हितों का टकराव कभी युद्ध में नहीं बदल सकता। आज भी वे लोग जो चीन और वियतनाम दोनों को समाजवादी मानते हैं, दक्षिण चीन में वियतनाम व चीन के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों तथा वियतनाम के कम्बोडिया और लाओस के साथ टकराव पूर्ण संबंधों के सम्मुख अवाक हैं।

दक्षिण चीन सागर में चीन व उसके पड़ोसी देशों के बीच विवादों में भारत और अमेरिका की खास दिलचस्पी है। इसकी दो वजह हैं - एक, यह दोनों द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से परिपूर्ण हैं। दक्षिण चीन सागर में लगभग *250* द्वीपों में खनिज संपदा का अकूत भंडार होने का अनुमान है। इसमें *11* बिलियन बैरल प्राकृतिक तेल के भंडार, *190* ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार, जिसके *280* ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर में मूंगे का भी विस्त त भंडार है। मछलियों की हजारों नस्लें यहां पाई जाती है। दुनिया भर के मछलियों के कारोबार का करीब *55* प्रतिशत हिस्सा या तो दक्षिणी चीन सागर से गुजरता है या यहां पाया जाता है। यहां से हर वर्ष *3* ट्रिलियन डालर मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त, सामरिक द ष्टि से इस क्षेत्र की खास अहमियत है। दक्षिण चीन सागर के नजदीक इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फारमोसा जलडमरूमध्य, मलय और सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन ने समंदर में चट्टानों व टापुओं पर छोटी समुद्री पट्टियां बनाई, उनके इर्द-गिर्द रेत, बजरी, ईटों और कंक्रीट का इस्तेमाल करके बंदरगाह, हवाई पट्टी और कृत्रिम द्वीप और नौसेना का अड्डा विकसित किया है। उसने यहां कई छोटे द्वीपों पर सैनिक अड्डे बनाए हैं। अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ इसे ''समुद्र में चीन की दीवार'' कह रहे हैं।

चीन सागर विवाद में अमेरिका और भारत की रणनीति चीन के विरोध और वियतनाम व अन्य देशों के पक्ष में है। भारत की तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ओएनजीसी दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस तलाश रही है। उसे वहां अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। वियतनाम ने ओएनजीसी को चीन सागर में विवादित स्प्रैटली द्वीप में तेल की खोज व खनन के लिए आमंत्रित किया है। चीन नाइन डैश लाइन को आधार मानकर चीन सागर के जिस क्षेत्र पर अपना विशेषाधिकार क्षेत्र मानता है, भारत उसे नौवाहन और वहां के आकाश को मुक्त क्षेत्र मानता है। भारत ने वियतनाम को समुद्री सुरक्षा के लिए चार नौसैनिक गश्ती नौकाएं देने की घोषणा की है। भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देने की भी पेशकश की थी परंतु यह मिसाइल रूस के सहयोग से विकसित की गयी है, रूस की आपत्ति के कारण भारत यह मिसाइल वियतनाम को नहीं दे सका, परंतु वियतनाम की सुरक्षा और नेवी के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के प्रति भारत ने अपनी प्रतिबद्घता जताई है।

ग्वादर, चाबहार और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान सूबे में ग्वादर बंदरगाह है। अरब सागर में यहां तीन ओर समुद्र है। ईरान तथा फारस खाड़ी के देशों के नजदीक होने के कारण सैन्य और राजनैतिक नजरिए से यह बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के लिए सामुद्रिक व्यापार के लिए इस बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है। ग्वादर बंदरगाह का तट काफी गहरा है। यहां ढाई लाख टन तक वजन वाले माल-भरे बड़े-बड़े जहाज आसानी से लंगर गिरा सकते हैं। यह बंदरगाह पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन और मध्य एशिया सहित अनेक देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह गलियारा पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर से होकर लद्दाख-अक्साई चिन चाले विवादित क्षेत्र से, जहां भारत दरबूक-श्याके दौलतबेग ओल्डी (DSDBO) रोड बना रहा है, गुजरता है। पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह का ठेका सिंगापुर की कंपनी से लेकर *2013* में एक चीनी कंपनी को *40* साल के लिए दे दिया है। चीन का *60* फीसदी कच्चा तेल खाड़ी देशों से आता है। ग्वादर पोर्ट पर चीनी नियंत्रण से यहां से तेल का आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। बंदरगाह की रक्षा और पोतों की सुरक्षा चीनी नौसेना करेगी।

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) योजना ने इस बंदरगाह को और अधिक अहम बना दिया है। भारत ने भी ग्वादर से *170* किलोमीटर दूर ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का प्रयास किया है। चाबहार से बनने वाले गलियारे से भारत से अफगानिस्तान के लिए सीधा रास्ता मिल जाएगा। अभी भारत से अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान होकर जाना होता है। चाबहार भारत के लिये अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार खोल सकता है। यह बंदरगाह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के

लिहाज से बेहतर जगह है। यहां जापान भी निवेश के लिए तैयार हो गया है परंतु अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल खरीद बंद करने के कारण यह योजना खटाई में पड़ गई है। दूसरी तरफ, ईरान चीन व पाकिस्तान के बीच नजदीकी बढ़ रही है।

पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) ग्वादर बंदरगाह से उत्तरी-पश्चिमी झिनजियांग प्रांत के काश्गर तक बनाया जा रहा है। इसकी लागत *46* बिलियन डालर होगी। यह कश्मीर के उस हिस्से से जाएगा जो पाकिस्तान के नियत्रण में है। इस गलियारे के बनने के साथ दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक परिद श्य काफी कुछ बदल जाएगा। इसके तहत सड़कों के *3000* किमी विस्त त नेटवर्क और दूसरी ढांचागत परियोजनाओं की लंबी श्रं खला है। इस योजना को *2030* तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। चीन ऊर्जा आयात करने के लिए वर्तमान में हिंद महासागर के में जिस रास्ते का प्रयोग कर रहा है, इस *12,000* किमी लंबे रास्ते के मुकाबले इस गलियारे के बनने के बाद, छोटे रास्ते का इस्तेमाल करेगा। इससे उसे प्रति वर्ष अरबों डालर की बचत होगी। हिंद महासागर में उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और जल, सौर, उष्मा और पवन संचालित ऊर्जा संयंत्रों के लिए *34* बिलियन डालर का फायदा होने की संभावना है। इस प्रकार पाकिस्तान जिस गंभीर ऊर्जा संकट से गुजर रहा है वह कम होगा। इस गलियारे में ईरान, रूस, और सऊदी अरब भी रुचि ले रहे हैं।

व्यावसायिक पक्ष के अलावा इस सौदे का सामरिक पक्ष भी है। चीन पाकिस्तान को दी जा रही आठ पनडुब्बियां, पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में ग्वादर बंदरगाह नौसैनिक अड्डे के तौर पर विकसित हो सकता है।

श्रीलंका

श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में मौजूद हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को पट्टे पर दे दिया गया है। *150* करोड़ डालर से बना यह बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह को चीन की सरकारी संस्था 'चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स' ने बनाया है। इसमें *85* फीसदी हिस्सेदारी चीन के एक्सिम बैंक की है। इस बंदरगाह पर चीन से आने वाले माल को उतारकर देश के अन्य भागों तक पहुंचाने की योजना है। जापान और अमेरीका समेत श्रीलंका के पड़ोसी देशों ने चिंता जताई थी, इस बंदरगाह का सैन्य उद्देश्यों के लिए चीन द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। *2017* से पहले श्रीलंका और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध थे। इस दौरान श्रीलंका ने अमेरिका के साथ अधिग्रहण और सैन्य आवश्यकताओं के लिए एक समझौता (Acquisition and Cross&Servicing Agreement –ACSA) किया था। यह समझौता भोजन, ईंधन, परिवहन, गोला-बारूद और उपकरणों सहित रसद में सहयोग और परस्पर आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। अमेरिकी समर्थक सिरिसेना-विक्रमसिंघे प्रशासन ने इसकी अवधि *10* साल के लिए बढ़ा दी थी। इससे अमेरिका को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने आपरेशन के लिए रसद आपूर्ति, ईंधन भरने और ठहराव की सुविधा मिली थी। लेकिन गोतबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapakshe) प्रशासन में श्री लंका-अमेरिका संबंधों में ठंडक आ गई। चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण श्रीलंका ने दिसंबर, *2017* में अपना हंबनटोटा बंदरगाह, *15,000* एकड़ जमीन सहित चीन की 'मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड' कंपनी को *1.12* अरब डालर के बदले *99* साल के लिए पट्टे पर दे दिया है। चीन के लिए यह सैन्य और व्यापारिक दोनों नजरिए से अनुकूल स्थिति है।

भारत ने भी श्रीलंका को *96* करोड़ डालर का कर्ज दिया है। एवज में श्रीलंका ने भारत को हवाई अड्डा विकसित करने के लिए हंबनटोटा बंदरगाह से कुछ सौ मील के फासले पर जमीन प्रदान की है। स्थिति यह है कि श्री लंका कर्ज के चंगुल में भयंकर रूप से फंस चुका है। उसके ऊपर विभिन्न देशों का कुल *55* अरब डालर का कर्ज है। यह श्रीलंका की कुल जीडीपी की *80* फीसदी है। इसमें *14* प्रतिशत कर्ज चीन और एशियन डिवेलपमेंट बैंक का है, जापान का *12* प्रतिशत, विश्व बैंक का *11* प्रतिशत और भारत का दो प्रतिशत। कोराना संक्रामक रोग के साथ गहराये आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने भारत से कर्ज अदायगी में छूट की मांग की है। चीन ने श्रीलंका को किश्तों में *50* करोड़ डॉलर और कर्ज देना मंजूर कर लिया है।

मालदीव में नौसैनिक अड्डे का निर्माण

अरब सागर में भारत के लक्षद्वीप के निकट मालदीव चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह से उलझ चुका है। वह *2018* तक चीन से डेढ़ अरब डालर कर्ज ले चुका था। इसका लाभ उठाकर चीन ने मालदीव के *17* द्वीपों को पट्टे पर ले लिया है। चीन ने मालदीव को *40* लाख डालर देकर यहां का फेयदहू-फिनोलहू द्वीप *2066* तक के लिए पट्टे (लीज) पर लिया है और समुद्र में उसके किनारे पाटते हुए, आकार *38* हजार वर्गमीटर से बढ़ाकर एक लाख वर्गमीटर कर दिया है। यदि वह इनका सैनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है, तो न तो छोटा-सा मालदीव उसका कुछ बिगाड़ पायेगा और न भारत ही चीन को ऐसा करने से रोक पाएगा।

सेशेल्स और मारीशस में भारत के सैन्य अड्डे

भारत और सेशेल्स में यह सहमति बन गयी है कि सेशेल्स के एजम्शन द्वीप पर भारत नौसेना का एक अड्डा विकसित करेगा। सेशेल्स हिंद महासागर में अफ्रीकी मुख्यभूमि से लगभग *1500* किलोमीटर दूर पूर्व दिशा मे और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में है। यहां कुल *11* वर्ग किमी जमीन है।

भारत सेशेल्स को सैन्य उपकरण खरीदने के लिए *100* मिलियन अमेरिकी डालर दे रहा है। ''सामुद्रिक सुरक्षा'' के नाम पर हुए इस समझौते के तहत एजम्शन द्वीप पर नेवी का बेस तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी की पहली विदेश यात्रा सेशेल्स से शुरू हुई थी। तब से यह योजना अधर में लटकी थी। वहां के संविधान के अनुसार विपक्ष की सहमति न होने पर सरकार इस प्रकार के समझौते नहीं कर सकती। स्थानीय लोग का विरोध था कि सैन्य अड्डा बनने से सेशल्स के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। विरोध के पीछे चीन का हाथ भी बताया जा रहा था।

सेशेल्स *115* द्वीपों का समूह है। भारत की योजना इस समझौते के बाद यहां *550* मिलियन डालर निवेश करने की है। इस डील के तहत सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित *1,135* किलोमीटर की दूरी तक भारतीय सैनिक तैनात होंगे। ये सैनिक सेशेल्स के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देंगे। फिलहाल यह द्वीप खाली पड़ा है। यहां पर एक हवाई पट्टी है। बहुत कम लोग रहते हैं।

हिंद महासागर में मारीशस के अगालेगा द्वीप पर भारत ने नेवी के लिए ठिकाना बनाया है। यहां भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए एयरपोर्ट भी बनाया गया है। अगालेगा मारीशस के मुख्य द्वीप से *1100* किलोमीटर दूर उत्तर यानी भारत की तरफ, सिर्फ *70* वर्ग किलोमीटर दायरे में है। ये दोनों द्वीप अरब से कच्चे तेल के परिवहन मार्ग के करीब हैं। यहां चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिका भारत को *22* गार्जियन ड्रोन दे रहा है।

जिबूती में चीन का नेवी बेस

अफ्रीका के देश जिबूती को अगर चीन का नौसैनिक अड्डा न माना जाए तो भी इसके रणनीतिक महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। चीन के अनुसार उसने यहां अपने नाविकों और जहाजों के लिए भोजना, रसद, ईंधन आदि लाजिस्टिक सुविधा के लिए ठिकाना बनाया है। चीन का यह बेस अमेरिका के सबसे बड़े और बेहद महत्वपूर्ण नेवी बेस 'कैम्प लेमनीर' से कुछ मील के फासले पर है। कैम्प लेमनीर की स्थापना अमेरिका ने *9/11* हमलों के बाद की थी। यहां हर समय *4,000* अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं। यहीं से अमेरिका पश्चिम एशिया और अफ्रीकी श्रंग में लक्षित ड्रोन हमलों सहित बेहद गोपनीय मिशनों का संचालन करता रहा है। अमेरिका के अलावा, जापान, इटली और फ्रांस, सभी अमेरिकी सहयोगियों के जिबूती में अपने नौसैनिक ठिकाने हैं।

चीन अफ्रीका में निवेश लगातार बढ़ा रहा है। वह कुछ वर्षों से अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर भी खास ध्यान दे रहा है। अफ्रीकी राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन - *2015* में चीन ने अफ्रीका के विकास के लिए *60* बिलियन डालर निवेश करने का ऐलान किया था। चीन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा व्यावसायिक साझीदार बन चुका है।

जिबूती उत्तरी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। यह अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच सामरिक द ष्टि से महत्वपूर्ण बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य पर व्यापार और ऊर्जा परिवहन महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां से प्रतिदिन *3. 8* मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। इसकी स्थिति यहां के तीन अस्थिर क्षेत्रों अरब प्रायद्वीप (यमन), अफ्रीकी श्रंग (सोमालिया, इरिट्रिया) और उत्तरी अफ्रीका (मिस्र, सुडान) के संगम पर है।

क्रांति ही विकल्प

'एशिया में ऊर्जा का भविष्य' नाम से अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की एक रिपोर्ट में चीन द्वारा विभिन्न देशों में कायम किए जा रहे बंदरगाहों को''स्ट्रिंग आफ पर्ल्स'' (मोतियों की माला) कहा गया है। इस खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है, ''चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर से लेकर मलक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक तैयार किए जा रहे सामरिक ठिकाने (बंदरगाह, हवाई पट्टी, निगरानी-तंत्र इत्यादि) ऊर्जा-स्रोत और तेल से भरे जहाजों के समुद्र में आवागमन की सुरक्षा के लिए है। समय आने पर चीन इन्हें सैन्य उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है।''कहा यह भी जा रहा है कि 'मोतियों की माला'(स्ट्रिंग आफ पर्ल्स) का मकसद भारत को समुद्र में घेरना है। जवाबी नीति के तहत भारत ने भी 'फूलों की माला' नाम से बंदरगाह, हवाई पट्टियां, निगरानी तंत्र कायम करने की नीति अपनायी है।

मुख्य प्रतिद्वंद्वता अमेरिका और चीन में है। हिंद-प्रशांत में 'चीन के विरूद्ध भारत' अमेरिका के हित में है। इससे अमेरिकी फौज पर दबाव कम होता है। यह हिंद प्रशांत में चीन को रोकने, अमेरिका के शोषण और लूट की हिफाजत करने में उसके लिए मददगार है। ''नीली अर्थव्यवस्था'' के नाम पर सामुद्रिक संसाधन, ''लुक ईस्ट'', ''एक्ट ईस्ट'', हिंद-प्रशांत और अफ्रीका में चीन का विकल्प बनने का अवसर, भारत के पूंजीपति वर्ग के लालच को जाहिर करते हैं। दिक्कत यह है कि वैश्वीकरण के साथ भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी पूंजी पर आधारित विकास और निर्यातोन्मुख उत्पादन की जिस आर्थिक नीति को अपनाया गया है वह आज संकट की भंवर में है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ जनता विरोध और आक्रोश से भरी हुई है। जनता का विरोध क्रांतिकारी दिशा में आगे न बढ़े इसके लिए ''हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद''के नाम पर साम्प्रदायिकता और अंधराष्ट्रोन्माद उत्पन्न कर फासीवादी दमन के रास्ते पर आगे बढ़ना भारत के शासक वर्ग के हित में है। चीन और अमेरिका दोनों का मुकाबला भारत का साम्राज्यवाद परस्त शासक वर्ग नहीं कर सकता। भारत की मेहनतकश और जनवाद पसंद जनता की एकजुटता से ही यह संभव है। क्रांतिकारी आंदोलन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है।

किसान संघर्ष के दबाव में पंजाब विधान सभा द्वारा खेती के कानून पारित

20 अक्टूबर को पंजाब विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित चार कानून पंजाब के किसानों के तेज व संकेंद्रित संघर्ष का परिणाम है। वे केन्द्र सरकार के कानूनों द्वारा किसानों पर हमले के बिन्दुओं को रेखांकित करते हैं और खेती पर राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार पर जोर देते हैं। परन्तु वे केन्द्रीय कानूनों के किसानों पर असर से कोई ठोस राहत नहीं देते और केन्द्रीय कानूनों की कारपोरेट पक्षीय अवधारणाओं में से कई को सत्यापित कर देते हैं।

दोनो कानून केन्द्रीय कानून का संदर्भ लेते हुए कहते हैं कि वे "किसानों और व्यापारियों अथवा खरीददारों के बीच समझौतों के क्रियान्वयन में कई अन्य दुर्बलताओं तथा अमल हो रही विकृतियों को प्रस्तुत करते हैं, जो खेती तथा उसको करने वाले समुदायों को घोर क्षति तथा उनके विरुद्ध पक्षपात को जन्म देंगी"। वे यह भी कहते हैं कि केन्द्रीय कानून ऐसी प्रक्रिया शुरु करते हैं जो निहित कारपोरेट हित द्वारा हस्तक्षेप तथा तोड़-मरोड़ की प्रक्रिया को बढ़ावा देगी और किसानों को अपने कृषि उत्पाद, फल व सब्जियों के उचित दाम प्राप्त करने के लिए खुली बाजारू शक्तियों की अनियमितताओं का शिकार बनाएगी।

ये कानून एक तरह से खेती में कारपोरेट नियंत्रण का विरोध करते हैं, पर वे हमारी खेती व खाद्यान्न श्रंखला में कारपोरेटीकरण थोपे जाने व आसान करने के क्रम का धारणात्मक रूप से विरोध नहीं करते। वे केन्द्रीय कानून के विरोध का दिखावाकरते हैं, उन्हें समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, पर अंत में जाकर केन्द्र सरकार द्वारा खेती में कारपोरेट हस्तक्षेप व नियंत्रण की अवधारणा को सही ठहरा देते हैं।

एमएसपी व खरीद की गारंटी

पंजाब में मुख्य मांग एमएसपी व सरकारी खरीद की है। इन कानूनों का सबसे बड़ी कमी यह है कि इनमें सरकार द्वारा खरीद की गारंटी पर एक शब्द नहीं लिखा गया है। साथ में इनमें स्वामीनाथन फार्मूला द्वारा एमएसपी नियंत्रित किये जाने पर भी जोर नहीं है। ये कानून सिर्फ केन्द्र द्वारा घोषित एमएसपी पर निर्भर हैं और कहते हैं कि एमएसपी के नीचे खरीददारी अमान्य होगी "जहां तक यह गेहूँ व धान तक सम्बन्धित है"। अन्य फसलों को एमएसपी का लाभ नकार दिया गया है।

इन कानूनों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो सुनिश्चित करे कि एमएसपी के नीचे दर पर खरीदारी में किसानों को न्याय कैसे मिलेगा, इसे अमान्य घोषित किया गया है पर अपराध नहीं। यह भी सपष्ट नहीं है कि अगर खरीद अमान्य घोषित हो जाए तो किसानों को क्या करना है। इसमें किसानों के लिए शिकायत की कोई प्रक्रिया भी नहीं दी गयी है। कानून में सिर्फ यह लिखा है कि "यदि कोई किसानों पर दबाव बनाता है या उन्हें मजबूर करता है .... कि एमएसपी के नीचे दाम पर उनके पास मौजूद कृषि उत्पाद की बिक्री करे या उसका ठेका करे, तब माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, जिसकी सजा तीन साल तथा जुर्माने से कम नहीं होगी"। यह स्पष्ट नहीं है कि किसान अपनी परेशानी को कैसे साबित करेगा।

फंड का सवाल

दोनो कानून कहते हैं कि यह राज्य सरकार की प्रधान जिम्मेदारी है कि वह किसानों को बराबरी के सौदे का आधार प्रस्तुत करे और उनका शोषण न होने दे। जबकि यह जिम्मेदार साथ-साथ राज्य व केन्द्र दोनो की है। जहां जमीनी कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हैं, केन्द्र को नीतिगत दिशा व धन की आपूर्ति करानी होती है। परन्तु इन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जो फंड देने के लिए केन्द्र को मजबूर करे और ना ही ये कानून ये बताते हैं कि राज्य सरकार फंड कहां से लाएगी, जिसके बिना एमएसपी व सरकारी खरीद की गांरटी अमल करना उसके लिए असंभव होगा।

ठेके, मंडी शुल्क, आदि

पंजाब का ठेका खेती कानून कहता है कि राज्य में केन्द्रीय कानून का अमल तभी होगा जब राज्य सरकार इसका नोटिस जारी करेगी। यह कानून न तो ठेका खेती पर प्रश्न खड़ा करता है, न ही उसे अमान्य करता है।

मंडी सम्बन्धित और ठेका खेती सम्बन्धित कानून केन्द्रीय कानून के इस प्रावधान का विरोध करते हैं कि 'व्यापार क्षेत्रों' में शुल्क नहीं लगाया जा सकता और वे कहते हैं कि शुल्क अमल करने का अधिकार राज्य सरकार का है। वे केन्द्रीय कानून के अमल को रोकने के लिए यह भी कहते हैं कि ये तभी अमल होंगे जब राज्य सरकार इसका नोटिस निकालेगी।

दोनो कानून न्यायालय में दोनो पक्षों के जाने की बात लिखते हैं, पर इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि वाद में फंसे किसान की उस अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति कैसे होगी।

खाने की कीमत व राशन

पंजाब सरकार के आवश्यक वस्तु संशोधन कानून में "असाधारण परिस्थिति" के नियामन का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा, पर खाने के भंडारण व व्यापार के लिए इस नई जनविरोधी शर्त का वह विरोध नहीं करता। आवश्यक वस्तु कानून *1955* में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार ऐसा आदेश निकालेगी "यदि उसकी ऐसी राय हो कि ऐसा किया जाना जरूरी व फायदेमंद है" कि कोई भी वस्तु आवश्यक है। पंजाब का कानून भी इस तरह से केन्द्र सरकार के कानून की इस चाल को मान्य कर देता है कि खाने को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर कर किया जाए और खाने के बाजार को कारपोरेट मुनाफाखोरों के लिए खोल दिया जाए। यह तब किया जा रहा है जब केन्द्रीय कानून साफ तौर पर लिखता है कि राशन व्यवस्था "कुछ समय के लिए अमल में है" और भाजपा नेता, सरकारी समितियां तथा कारापोरेट समर्थक खुल कर यह मांग कर रहे हैं कि राशन व्यवस्था भंग कर दी जाए।

किसानों के पक्ष में दिखावा

पंजाब सरकार ने कुछ पहलुओं पर किसानों का पक्ष लेने का दिखावा किया है जो सीमित भी हैं और जिन्हें अमल करना संभव भी नहीं लगता। जो उसने नहीं किया, कि वह साफ तौर पर खेती में मंडियों को स्थापित करने में, खाद्यान्न प्रसंस्करण करने में, भंडारण, शीतगह, परिवहन, बिक्री तथा खाद्यान्न श्रंखला पर नियंत्रण हेतु कारपोरेट तथा विदेशी कम्पनियों को व्यवसाय करने की छूट पर रोक लगा देती। ऐसा न करके पंजाब के शासक दलों ने कारपोरेट-पक्षीय चरित्र दिखाया है।

Pratirodh Ka Swar, Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy Website : cpimlnd.org
बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 *से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार*